दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय आरक्षित : 01.08.2024

निर्णय उद्घोषित : 23.01.2025

सि.वा. (मू.प.) 2382/2007

डॉ. पुष्पलता व अन्य .....याचीगण

के माध्यम से: श्री वरुण निश्चल, श्री रजत मनचंदा, श्री परवीन कालरा, सुश्री अदिति सिंघल, सुश्री सौम्या, श्री दीपांशु भारती, श्री शुभम शर्मा, अधिवक्तागण।

बनाम

राम दास एच.यू.एफ. व अन्य .....प्रतिवादीगण

के माध्यम से: श्री मनीष वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ रिक्की गुप्ता, सुश्री अनन्या सिंह, श्री वंशय कौल, श्री वेदांश वशिष्ठ, सुश्री हर्षिता नाथरानी, अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री जसमीत सिंह

निर्णय

: न्या. जसमीत सिंह

1. वर्तमान वाद, निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रार्थनाओं की माँग करते हुए, दायर किया गया है:-

क. यह घोषणा करते हुए डिक्री पारित की जाए कि वादी को वाद में वर्णित एच.यू.एफ. संपत्तियों में 1/5वाँ हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है।

ख. वादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रारंभिक विभाजन की डिक्री यह घोषित करते हुए पारित की जाए, कि वादी वाद में वर्णित एच.यू.एफ. संपत्तियों में 1/5वाँ हिस्सा पाने का अधिकारी है।

ग. वादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह घोषणा करते हुए कि स्वामित्व अभिलेख में कोई भी परिवर्तन अथवा कोई भी समझौता/बिक्री संविदा आदि अमान्य होगा, डिक्री पारित की जाए। यदि प्रतिवादीगण में से किसी ने वादी की स्पष्ट सहमति के बिना वाद में उल्लिखित एच.यू.एफ. संपत्तियों के संबंध में कोई कार्य किया है या उसमें प्रवेश किया है, तो वह अकृत एवं शून्य है और वादी पर बाध्यकारी नहीं है।

घ. उपरोक्त (क) और (ख) में वर्णित प्रारंभिक डिक्री पारित करने के पश्चात्, वाद की संपत्तियों का सीमांकन द्वारा विभाजन कराने हेतु स्थानीय आयुक्त/आयुक्तों की नियुक्ति का आदेश पारित

किया जाए, साथ ही स्थानीय आयुक्त को अन्य विभाजन के तरीकों का सुझाव देने का निर्देश दिया जाए। और यदि माननीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सीमांकन द्वारा विभाजन करना संभव नहीं है, तो वाद की संपत्तियों को बेचा/मुक्त किया जाए तथा बिक्री/प्राप्ति की कार्यवाही को पक्षकारों के बीच उनके निर्धारित हिस्से के अनुपात में वितरित किया जाए।

ङ. स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट अथवा उपरोक्त प्रार्थना "घ" में वर्णित किसी अन्य विधि के अनुसार अंतिम विभाजन डिक्री पारित की जाए, और यदि आवश्यकता उत्पन्न होती है तो संबंधित हिस्सों का वास्तविक खाली भौतिक कब्जा पक्षकारों को सौंपा जाए।

च. प्रतिवादीगण, उनके नौकरों और एजेंटों को किसी भी प्रकार से संपत्ति बेचने, हस्तांतरित करने, गिरवी रखने या कब्जे से अलग होने से रोकने और वादी को उपर्युक्त वर्णित संपत्तियों के संयुक्त कब्जे से बेदखल करने के लिए स्थायी व्यादेश जारी करने हेतु, जब तक कि संपत्तियों का सीमांकन करके सह-भागीदारों के बीच विभाजन का अंतिम आदेश पारित न हो जाए;

छ. प्रतिवादीगण, उनके नौकरों और एजेंटों को वादी को वाद से संबंधित एचयूएफ परिवार की संपत्तियों से अवैध व जबरन बेदखल करने से रोकने के लिए स्थायी व्यादेश।

ज. न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट स्थित एचयूएफ आवासीय संपत्ति के भूतल के किराए से अर्जित किराए का हिसाब प्रस्तुत करने का आदेश प्रतिवादीगण को देने के लिए।

2. वादी संख्या 1 अर्थात् डॉ. पुष्पा लता, प्रतिवादी संख्या 2 (अब दिवंगत) की प्रथम पत्नी श्रीमती शकुंतला देवी (अब दिवंगत) से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्री हैं।

3. प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात् राम दास एच.यू.एफ. का गठन प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात् डॉ. राम दास द्वारा वर्ष 1978 में किया गया था।

4. प्रतिवादी संख्या 2 वादी तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पिता थे और प्रतिवादी संख्या 1 के *'कर्ता'* भी थे। प्रतिवादी संख्या 3 और 4, प्रतिवादी संख्या 2 की दूसरी पत्नी श्रीमती शांति देवी (अब दिवंगत) से उत्पन्न पुत्र हैं। वर्तमान कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी संख्या 2 का निधन दिनांक 10.12.2008 को हो गया। वर्तमान कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी संख्या 2 का निधन दिनांक 10.12.2008 को हो गया।

5. प्रतिवादी संख्या 5 अर्थात् श्रीमती उषा सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 की प्रथम पत्नी श्रीमती शकुंतला देवी से उत्पन्न दूसरी पुत्री हैं। वादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 5 सगी बहनें हैं। आदेश दिनांक 08.12.2008 के द्वारा, प्रतिवादी संख्या 5 को वादी संख्या 2 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया।

<u>वादी के अनुसार तथ्यात्मक पृष्ठभूमि</u>

6. प्रतिवादी संख्या 2 का विवाह वर्ष 1937 में श्रीमती शकुंतला देवी से हुआ था, जिनका निधन दिनांक 03.10.1943 को हो गया। तत्पश्चात्, प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 24.02.1944 को श्रीमती शांति देवी से विवाह किया। वादीगण सगी बहनें हैं तथा प्रतिवादी संख्या 3 और 4 आपस में सगे भाई हैं और वादीगण के सौतेले भाई हैं।

7. वर्ष 1978 में, प्रतिवादी संख्या 2 ने पैतृक संपत्ति और/या स्व-अर्जित संपत्ति से प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात् राम दास एचयूएफ (**जिसे आगे "एचयूएफ" कहा गया है**) की स्थापना की, जिसे प्रतिवादी संख्या 2 के पूरे परिवार के लाभ के लिए साझा कोष में डाल दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 2 एचयूएफ का *"कर्ता"* था। वादीगण के अनुसार, एचयूएफ निम्नलिखित संपत्तियों/परिसंपत्तियों पर नियंत्रण रखता है:-

क. ए-28, फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली स्थित तीन मंज़िला मकान, जिसका क्षेत्रफल 501.67 वर्ग मीटर है, तथा उससे प्राप्त

होने वाला पट्टे का किराया ***(जिसे आगे "कोठी" के रुप में संदर्भित किया गया);***

ख. प्लाट संख्या सी-1034 और सी-1035, सुशांत लोक-1, गुरुग्राम, हरियाणा स्थित;

ग. यू.टी.आई. की 7700 इकाइयाँ, जिनकी राशि ₹1,00,000 एक लाख रुपये है;

घ. खाता संख्या 67972 (अब 525-1-008486-5) में बैंक शेष राशि, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (पूर्व में ग्रिंडलैज़ बैंक), संसद मार्ग, नई दिल्ली में रखी गई है;

ङ. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली में खाता संख्या 2380241 में उपलब्ध बैंक शेष राशि;

च. पी.पी.एफ. खाता संख्या 10485058884, एच.यू.एफ. के नाम पर, भारतीय स्टेट बैंक, फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली में स्थित;

छ. दुकान संख्या एफएफ 18, जो प्रतिवादी संख्या 3 और प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर बुक की गई है, सुशांत लोक व्यापार केंद्र, गुरुग्राम स्थित;

8. यह कहा गया है कि उपर्युक्त सभी संपत्तियाँ प्रतिवादी संख्या 1 की सहदायिकी संपत्तियाँ हैं, जो एच.यू.एफ. के सभी सहदायिकी की ओर से तथा उनके हित में हैं।

9. दिनांक 11.09.1987 को, प्रतिवादी संख्या 2 ने एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की, जिसके द्वारा उन्होंने यह घोषित किया कि एच.यू.एफ. संपत्तियों में उनका हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 और 4 तथा उनकी दूसरी पत्नी श्रीमती शांति देवी को समान अनुपात में प्राप्त होगा।

10. वर्ष 1989 में, प्रतिवादी संख्या 2 ने *'राम दास एच.यू.एफ.'* के नाम पर एक पी.पी.एफ. खाता खोला और तत्पश्चात् वर्ष 1995 में, एच.यू.एफ. की किराया आय से प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के नाम पर क्रमशः दो संपत्तियाँ, अर्थात् संपत्ति संख्या सी-1034 और सी-1035, सुशांत लोक-1, गुरुग्राम, हरियाणा स्थित,खरीदीं गई।

11. प्रतिवादी संख्या 2 की दूसरी पत्नी, श्रीमती शांति देवी ने भी दिनांक 23.12.1995 को एक वसीयत निष्पादित की, जिसके द्वारा उन्होंने एच.यू.एफ. संपत्तियों में अपने हिस्से को प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पक्ष में वसीयत की है।

12. दिनांक 17.07.2004 को, प्रतिवादी संख्या 2 ने एक अन्य वसीयत निष्पादित की, जिसके द्वारा उन्होंने स्वयं को कोठी के एकमात्र स्वामी घोषित किया और उक्त संपत्ति को प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पक्ष में वसीयत की है।

13. दिनांक 17.07.2004 की वसीयत का प्रचालन भाग इस प्रकार है:-

"मैं ए-28, फ्रेंड्स कॉलोनी (ईस्ट), नई दिल्ली का एकमात्र स्वामी हूँ। यह भवन मैंने अपने स्वयं के धन से निर्मित किया है, तथा उक्त भूखंड भी मैंने अपनी व्यक्तिगत आय से खरीदा था। अतः, मैं इसका एकमात्र और पूर्ण स्वामी हूँ। मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति, मकान संख्या ए-28, फ्रेंड्स कॉलोनी (ईस्ट), नई दिल्ली, अपने दोनों पुत्रों डॉ. विजय कुमार दास और डॉ. विनय कुमार दास को विरासत स्वरूप प्रदान करता हूँ, और मेरी मृत्यु के पश्चात् प्रत्येक अपने-अपने हिस्से का अनन्य स्वामी होगा, जैसा कि नीचे विस्तार से वर्णित है और इस वसीयत के साथ संलग्न नक्शे में प्रदर्शित किया गया है।

क. डॉ. विजय कुमार दास (मेरा बड़ा बेटा) मुख्य भवन के ए□28, फ्रेंड्स कॉलोनी (ईस्ट), नई दिल्ली के पूरे भूतल को निश्चितरूप से लेंगें, साथ ही उसके पीछे और सामने के लॉन के अलावा बाईं ओर के गैरेज और उसके ऊपर बने नौकर के आवास को भी (जैसा कि सामने की सड़क से देखने पर बाईं ओर है)।

ख. डॉ. विनय कुमार दास (मेरा छोटा बेटा) को ए-28 फ्रेंड्स कॉलोनी (पूर्व), नई दिल्ली स्थित मुख्य भवन की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल, बरसाती और बरसाती की छत, साथ ही उसके हिस्से तक जाने वाली सीढ़ियाँ, और दाहिनी ओर का गैरेज और

उसके ऊपर नौकर के आवास (सामने वाली सड़क से देखने पर दाहिनी ओर) है।

डॉ. विनय कुमार दास को सामने के गेट और गैराज के बीच स्थित बगल के रास्ते से और साथ ही उसी रास्ते से मुख्य बगल के प्रवेश द्वार से होकर भवन में अपने हिस्से तक जाने का अधिकार होगा, जो नीचे दिए गए खंड 'ग' में वर्णित संयुक्त भाग का हिस्सा है।

ग. सड़क की ओर का मुख्य द्वार, भूतल, प्रथम और द्वितीय मंज़िलों का मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार तक जाने वाला मुख्य मार्ग, गैरेज, नौकरों के आवास और पंप हाउस ये सभी मेरे दोनों पुत्रों की संयुक्त संपत्ति होंगे और इनका उपयोग दोनों पुत्रों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाएगा।"

14. इसके पश्चात्, दिनांक 24.08.2004 को, प्रतिवादी संख्या 2 ने कोठी संबंधी एक पंजीकृत उपहार-विलेख निष्पादित किया, जिसके द्वारा उक्त संपत्ति प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पक्ष में प्रदान की गई। .

15. अतः, वादी संख्या 1 ने वर्तमान वाद दायर, इस आधार पर कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने अर्थात दिनांक 09.09.2005 के पश्चात् वादीगण एच.यू.एफ. के सहदायिकी हैं और

उन्हें उपर्युक्त अनुच्छेद 7 में वर्णित संपत्तियों में प्रत्येक को 1/5वाँ हिस्सा प्राप्त है, किया है। चूँकि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 वादीगण की सहमति के बिना एच.यू.एफ. संपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और निपटाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए वर्तमान वाद दायर करना आवश्यक हो गया।

<u>प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन</u>

16. प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 ने वर्तमान वाद का विरोध करते हुए अलग-अलग लिखित कथन दाखिल किए।

17. वादी संख्या 2 ने, प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में अपने लिखित कथन में, वादी संख्या 1 के मामले का समर्थन किया।

<u>प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से लिखित कथन</u>

18. प्रतिवादी संख्या 2 ने वादीगण द्वारा किए गए कथनों का खंडन किया है और मुख्यतः यह निवेदन किया है कि वादी संख्या 1 अब हिंदू नहीं रही, क्योंकि उसका विवाह यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तानी मूल के एक मुस्लिम से हुआ है। वादी संख्या 1 हिंदू नहीं थी, जैसा कि हिंदू विधि के अंतर्गत अपेक्षित है, न तो वर्तमान वाद दायर किए जाने की तिथि पर और न ही उस तिथि पर जब हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम,

2005 पर अर्थात् दिनांक 09.09.2005 को लागू हुआ। अतः, वादी संख्या 1 द्वारा दायर वाद संधार्य नहीं है।

19. दिनांक 24.08.2004 के पंजीकृत उपहार-विलेख के परिप्रेक्ष्य में, प्रतिवादी संख्या 2 उक्त संपत्ति का स्वामी, न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही एच.यू.एफ. के *कर्ता* के रूप में, नहीं रहा है और इस कारण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है।

20. प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी व्यक्तिगत निधियों से डी.डी.ए. से उक्त कोठी को पट्टाधारित आधार पर क्रय किया, जिसे बाद में दिनांक 21.11.2000 के हस्तांतरण-पत्र विलेख द्वारा पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तित किया गया। इसके अतिरिक्त, उक्त संपत्ति से संबंधित सभी अधिकार, उपाधियाँ और हित प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पास हैं, जिन्हें प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 24.08.2004 के पंजीकृत उपहार-विलेख द्वारा उन्हें प्रदान किया। अतः, वादी उक्त संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अधिकार दावा नहीं कर सकती है।

21. वादीगण ने एच.यू.एफ. के आयकर विवरणियों पर, जो आकलन वर्ष 2005-06; 2006-07; 2007-08 से, यह कहने के लिए संबंधित है कि उक्त कोठी प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामित्व में थी, विश्वास व्यक्त किया है। इस संबंध में, प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया है कि यह मात्र उसके परामर्शदाता की अनजाने में हुई त्रुटि है और वैसे भी, एच.यू.एफ.

की आयकर विवरणियाँ उक्त संपत्ति के स्वरूप को परिवर्तित नहीं करतीं, जो पंजीकृत उपहार-विलेख के निष्पादन के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 3 और 4 की पूर्ण संपत्ति बन गई।

22. इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 उक्त कोठी के एकमात्र स्वामी बन गए हैं और प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 17.12.2004 को प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में एक मुख्तारनामा पंजीकृत किया है, ताकि वह उक्त संपत्ति से संबंधित किराए की वसूली कर सके तथा पट्टा-विलेख निष्पादित कर सके। उक्त संपत्ति में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक किरायेदार के साथ पट्टा भी निष्पादित किया गया है।

23. यह कहा गया है कि एच.यू.एफ., जैसा कि आरोपित है, केवल आयकर बचाने के उद्देश्य से बनाया गया था और प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ही एच.यू.एफ. के सहदायिकी थे। प्रतिवादी संख्या 2 का कभी भी यह अभिप्राय नहीं था कि वह उक्त कोठी में अपने पृथक अथवा व्यक्तिगत अधिकार, उपाधि और हितों को एच.यू.एफ. अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग दे।

24. प्रतिवादी संख्या 2 और उनकी दूसरी पत्नी, श्रीमती शांति देवी ने प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पक्ष में अलग-अलग वसीयतें निष्पादित की हैं और वादीगण उक्त वसीयतों के अंतर्गत किसी भी संपत्ति पर कोई अधिकार दावा नहीं कर सकते हैं।

25. संपत्ति संख्या सी-1034 और सी-1035, जो सुशांत लोक 1, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है, के संबंध में कहा गया है कि उक्त संपत्तियाँ प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने अपने नाम से और अपनी निधियों से क्रय की थीं और इस कारण वे कभी भी एच.यू.एफ. का हिस्सा नहीं थीं। प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने दिनांक 27.11.1995 को उक्त संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेखों पंजीकृत किए हैं और वादीगण ने उन अभिलेख-पत्रों के निरस्तीकरण की मांग नहीं की है।

26. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली में धारित बैंक खाता संख्या 2380241 और 525-1-008486-5 के संबंध में कहा गया है कि ये प्रतिवादी संख्या 2 के पेंशन खाते हैं और प्रतिवादी संख्या 2 के पृथक एवं व्यक्तिगत खाते हैं तथा इनका एच.यू.एफ. से कोई संबंध नहीं है।

<u>प्रतिवादी संख्या 3 और 4 की ओर से लिखित कथन</u>

27. प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने लिखित कथन द्वारा वादीगण द्वारा किए गए आरोपों का खंडन किया और निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 ने वर्ष 1969 में उक्त कोठी को पट्टे पर लिया था तथा तत्पश्चात् उन्होंने अपनी निधियों से उस भूमि पर अपना मकान निर्मित किया है।

28. यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 को कभी भी उत्तराधिकार के माध्यम से कोई संपत्ति प्राप्त नहीं हुई और उसने कभी भी कोई

एच.यू.एफ. का गठन नहीं किया, न ही वे किसी एच.यू.एफ. के कर्ता अथवा सहदयिकी थे।

29. यह मानते हुए कि यदि यहाँ *राम दास एच.यू.एफ.* नामक एक हिंदू अविभाजित परिवार अस्तित्व में भी था, तो वह दिनांक 08.03.1997 को, जब श्रीमती शांति देवी (प्रतिवादी संख्या 3 और 4 की माता) का निधन हुआ, समाप्त हो गया। उसने दिनांक 23.12.1995 को एक वसीयत, जिसके द्वारा उन्होंने अपने एच.यू.एफ. में 1/4 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पक्ष में विरासत में दिया, बनाई थी। इस प्रकार, सहदयिकी एच.यू.एफ. के सह-स्वामी बन गए।

30. इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त कोठी के संबंध में अपने अधिकार प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को उपहारस्वरूप प्रदान किए और इस उद्देश्य के लिए उसने दिनांक 24.08.2004 को एक उपहार-विलेख निष्पादित किया, जो विधिवत पंजीकृत हुआ। इस प्रकार उसने अपने सभी अधिकार, उपाधि और हित प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पक्ष में उपहारस्वरूप हस्तांतरित कर दिए। इसके अतिरिक्त, उक्त संपत्ति का नामांतरण प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के नाम पर हो चुका है और वे नियमित रूप से बिजली, पानी आदि के बिलों का भुगतान कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 3 और 4 अपने-अपने हिस्से की संपत्ति के संबंध में नगर निगम प्राधिकरणों को गृहकर का भुगतान भी करते आ रहे हैं। अतः

यदि कोई एच.यू.एफ. अस्तित्व में भी था, तो वह दिनांक 08.03.1997 को श्रीमती शांति देवी के निधन के समय विघटित हो गया, अथवा सबसे प्रतिकूल स्थिति में, जब दिनांक 24.08.2004 को विधिवत पंजीकृत उपहार-विलेख निष्पादित किया गया, उसी समय विघटित हो गया।

31. संपत्ति संख्या सी-1034 और सी-1035, जो सुशांत लोक 1, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित हैं, के संबंध में कहा गया है कि उक्त संपत्तियाँ कभी भी किसी एच.यू.एफ. का हिस्सा नहीं थीं, क्योंकि उन्हें प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने अपनी निधियों से क्रय किया था। प्रतिवादी संख्या 3 और 4 पेशे से चिकित्सक हैं और यूनाइटेड किंगडम में कार्यरत हैं। यह कहा गया है कि संपत्ति संख्या सी-1034, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम, हरियाणा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा खरीदी गई थी और संपत्ति संख्या सी-1035, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम, हरियाणा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा खरीदी गई थी तथा उक्त संपत्तियों के संबंध में विक्रय-विलेख दिनांक 27.11.1995 को निष्पादित किए गए थे।

<u>मुद्दे</u>

32. निम्नलिखित मुद्दे दिनांक 08.12.2008 को निर्धारित किए गए:

I. क्या वादीगण द्वारा कथित कोई एच.यू.एफ. अधिनियम संख्या 39/2005, जिसके द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6

में संशोधन किया गया, के लागू होने के समय अस्तित्व में था? ओपीपी

II. क्या वादपत्र में उल्लिखित संपत्तियाँ अथवा उनमें से कोई भी संपत्ति एच.यू.एफ. की संपत्ति थी अथवा उक्त तिथि पर एच.यू.एफ. में सम्मिलित की गई थी? ओपीपी

III. यदि मुद्दे संख्या 1 और 2 वादीगण के पक्ष में तय किए जाते हैं, तो वादीगण का संपत्ति/संपत्तियों में क्या हिस्सा होगा? ओपीपी

IV. क्या वाद न्यायालय शुल्क और अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए सही मूल्यांकित किया गया है? यदि नहीं, तो उसका क्या प्रभाव होगा? ओपीपी

V. क्या वाद में किया गया दावा परिसीमा से बाधित है? ओपीडी

VI. क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में अधिनियम संख्या 39/2005 द्वारा किया गया संशोधन प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के संवैधानिक अधिकारों का, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 300क के अंतर्गत हैं, उल्लंघन करता है? ओपीडी

VII. क्या वादी/डॉ. पुष्प लता के मुस्लिम से विवाह करने के कारण, उनके पास संपत्ति में कोई अधिकार (यदि कोई हो) नहीं रह गया है, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 19 या अन्य किसी प्रावधान के अंतर्गत? ओपीडी

VIII. अनुतोष

<u>पक्षकारगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य</u>

33. वादीगण ने निम्नलिखित साक्षीगण से पूछताछ कीः

1-डॉ. पुष्प लता - अभि.सा. 1 - (वादी संख्या 1) ने अपना साक्ष्य शपथपत्र (अभि.सा. 1/क) और प्रतिवाद में साक्ष्य (अभि.सा. 1/ख) के रूप में प्रस्तुत किया, तथा उनकी प्रतिपरीक्षा किया गया। अभि.सा.1 ने निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रदर्शित किए हैं:

क. प्रदर्श अभि./1 - प्रतिवादी संख्या 2 की आत्मकथा।

ख. मार्क X - (साक्ष्य शपथपत्र में प्रदर्श अभि./2 के रूप में उल्लेखित) - प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 11.09.1987 को निष्पादित वसीयत की फोटोकॉपी।

ग. प्रदर्श अभि./3 (समग्र रूप से) - स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली में स्थित एच.यू.एफ. बचत खाता संख्या 525-1-008486-5 का मार्च 2003 से मई 2008 तक का विवरण (स्टेटमेंट) की फोटोकॉपी, साथ ही बैंक का लिफ़ाफ़ा।

घ. प्रदर्श अभि./4 - चेक संख्या 453154 की फोटोकॉपी, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली पर निकाला गया था और जिसे प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी संख्या 1 को दिया।

ड. प्रदर्श अभि./5 - वादी संख्या 1 के एचडीएफसी बैंक खाते का प्रमाणित विवरण प्रतिलिपि, जिसमें चेक संख्या 453154 का जमा दिखाया गया है।

च. प्रदर्श अभि. अभि./6 - वादी संख्या 1 का पत्र, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ए-5, फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली के प्रबंधक को संबोधित है, की फोटोकॉपी।

छ.प्रदर्श अभि./7 - पीपीएफ खाता संख्या 10485058884 का लेन-देन विवरण की फोटोकॉपी।

ज. प्रदर्श अभि./8 - प्रतिवादी संख्या 1 के आकलन वर्ष 2005-06 के कर रिटर्न की प्रमाणित प्रति।

झ. प्रदर्श अभि./9 - प्रतिवादी संख्या 1 के आकलन वर्ष 2006-07 के कर रिटर्न की प्रमाणित प्रति।

ञ. प्रदर्श अभि./10 - प्रतिवादी संख्या 1 के आकलन वर्ष 2007-08 के कर रिटर्न की प्रमाणित प्रति।

ट. प्रदर्श अभि./11 - प्रतिवादी संख्या 1 के आकलन वर्ष 2007-08 के कर रिटर्न की संशोधित प्रमाणित प्रति।

ठ. प्रदर्श अभि./12 - आयकर अधिकारी वार्ड 22(2) द्वारा दिनांक 27.12.2008 वादी के पत्र के उत्तर में प्रदान की गई जानकारी।

ड. प्रदर्श अभि./13 और प्रदर्श अभि./14 दिनांक 09.01.1999 पत्र, जो प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी किए गए।

ण. प्रदर्श अभि./16 - उपहार विलेख दिनांक 24.08.2004 की फोटोकॉपी (जिसे बाद में प्रदर्श अभि.1/प्र.1 - मूल उपहार विलेख दिनांक 24.08.2004 के रूप में प्रदर्शित किया गया)।

त. प्रदर्श अभि./17 - प्रदर्शित नहीं किया गया।

थ. प्रदर्श अभि./18 - प्रदर्शित नहीं किया गया।

II. श्री राजवीर सिंह (श्रीमती उषा सिंह के पति अर्थात् वादी संख्या 2) - अभि.सा. 2 - जिन्होंने अपना साक्ष्य शपथपत्र (अभि.सा.2/क) के माध्यम से प्रस्तुत किया और जिनका

प्रतिपरीक्षण किया गया। अभि.सा.2 ने निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रदर्शित किए हैं:-

क. प्रदर्श अभि.4/क - भुगतान विवरण, जो सी-1034 (सुशांत लोक 1, गुरुग्राम, हरियाणा) से संबंधित है, साथ ही बिक्री विलेख की फोटोकॉपी।

III. श्री सुधीर गुप्ता (चार्टर्ड अकाउंटेंट) - अभि.सा.3 - की विधिवत प्रतिपरीक्षा की गई थी।

IV. श्री पंकज चतुर्वेदी (सहायक प्रबंधक, अंसल प्रॉपर्टीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) - अभि.सा. 4 - कि प्रतिपरीक्षा की गई और उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ों पर भरोसा किया:

क. प्रदर्श अभि.4/क - भुगतान विवरण, जो सी-1034 (सुशांत लोक 1, गुरुग्राम, हरियाणा) से संबंधित है, साथ ही बिक्री विलेख की फोटोकॉपी।

ख. प्रदर्शनी अभि.सा.4/ख (सामूहिक रूप से) - सी-1035, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम, हरियाणा से संबंधित भुगतान विवरण, साथ ही बिक्री विलेख की फोटोकॉपी।

ग. प्रदर्श अभि.सा. 4/ग - यूनिट संख्या एफएफ-18, सुशांत लोक व्यापार केंद्र से संबंधित भुगतान विवरण।

V. श्री थान सिंह (प्रबंधक, एसबीआई, फ्रेंड्स कॉलोनी शाखा) - अभि.सा. 5 - ने अपना साक्ष्य प्रतिपरीक्षा के माध्यम से प्रस्तुत किया। अभि.सा. 5 ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों पर भरोसा किया है:-

क. प्रदर्श अभि.सा.-5/क - एच.यू.एफ. के खाते खोलने के प्रपत्र की प्रमाणित प्रति।

ख. प्रदर्श अभि.सा.-5/ख - पत्र दिनांक 07.03.1989 की प्रमाणित प्रति।

ग. प्रदर्श अभि.सा.-5/ग - खाता संख्या 10485058884 के खाते विवरण की प्रमाणित प्रति।

घ. प्रदर्श अभि.सा.-5/घ - श्री राजिंदर वीर हांडा के खाते संख्या 10485014507 के खाते विवरण की प्रमाणित प्रति

VI. श्री ओम प्रकाश (निरीक्षक, आयकर विभाग) - अभि.सा.-6 - जिनकी प्रतिपरीक्षा की गई और उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ों पर भरोसा किया:

क. प्रदर्श अभि.सा.-6/क - आकलन वर्ष 2004-05 के लिए एच.यू.एफ. की आयकर विवरणी की ई-कॉपी की फोटोकॉपी।

VII. श्री लाल साहेब मिश्रा (सुपरवाइज़र, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग) - अभि.सा.7 - ने अपना साक्ष्य प्रतिपरीक्षा के माध्यम से प्रस्तुत किया और निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रदर्श किए।

क. प्रदर्श अभि.सा. 7/1 - एच.यू.एफ. खाता संख्या 525-1-008486-5, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में संचालित है, के विवरणी खाते की प्रमाणित प्रति।

ख. प्रदर्श अभि.सा.-7/2 - ग्रिंडलैज़ बैंक में एच.यू.एफ. के खाते खोलने के प्रपत्र की प्रमाणित प्रति।

ग. प्रदर्श अभि.सा.-7/3 - प्रतिवादी संख्या 2 के हस्ताक्षर कार्ड की प्रमाणित फोटोकॉपी।

घ. प्रदर्श अभि.सा.-7/4 - प्रतिवादी संख्या 2 के दिनांक 12.10.1998 के मूल नवीन हस्ताक्षर कार्ड की प्रमाणित प्रति।

ड. प्रदर्श अभि.सा.-7/5 - प्रतिवादी संख्या 2 के फॉर्म डीए-1 की प्रमाणित प्रति।

च. प्रदर्श अभि.सा.-7/6 - प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा ग्रिंडलैज़ बैंक के प्रबंधक को लिखे गए दिनांक 13.11.1988 के पत्र की प्रमाणित प्रति।

छ. प्रदर्श अभि.सा.-7/7 - प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा ग्रिंडलैज़ बैंक के प्रबंधक को लिखे गए दिनांक 17.12.1996 के पत्र की प्रमाणित प्रति।

ज. प्रदर्श अभि.सा. -7/8 - ग्राहक संबंध अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को जारी किए गए दिनांक 17.12.1996 के पत्र की फोटोकॉपी।

VIII. श्री अनिल कुमार (निरीक्षक, आयकर विभाग) - अभि.सा.8 - की प्रतिपरीक्षा की गई और उसने अपने प्रतिपरीक्षा के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ों पर भरोसा किया:

क. प्रदर्श अभि./8 - निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के कर विवरणी की प्रमाणित प्रति।

ख. प्रदर्श अभि. /9 - निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के कर विवरणी की प्रमाणित प्रति।

ग. प्रदर्श अभि./10 - निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के कर विवरणी की प्रमाणित प्रति।

IX. श्री मुस्तफ़ा अली (पंजीकरण क्लर्क, उप-पंजीयक कार्यालय, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश) - अभि.सा. 9 - की प्रतिपरीक्षा की और उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ों पर भरोसा किया।

क. मार्क 9क - एच.यू.एफ. के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज़ की फोटोकॉपी।

X. श्री राकेश लाल (प्रॉपर्टी डीलर) - अभि.सा. 10 - ने अपना साक्ष्य शपथपत्र (अभि.सा.-10/क) के माध्यम से प्रस्तुत किया और उसकी प्रतिपरीक्षा की है।

34. प्रतिवादीगण ने निम्नलिखित साक्ष्यों पर भरोसा किया है:

I. डॉ. विजय दास - प्र.सा. 1 - (प्रतिवादी संख्या 3) ने अपना साक्ष्य शपथपत्र (प्र.सा.-3/क) के माध्यम से प्रस्तुत किया और उसकी प्रतिपरीक्षा की है। प्र.सा.1 ने निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रदर्शित किए।

क. प्रदर्श प्र.-1 - कोठी से संबंधित स्थायी पट्टा विलेख।

ख. प्रदर्श प्र.-2 - प्लॉट संख्या सी-1034, सुशांत लोक, गुरुग्राम, हरियाणा से संबंधित मूल बिक्री विलेख, जो प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित किया गया।

ग. प्रदर्श प्र.-3 - दिनांक 21.11.2000 का हस्तांतरण विलेख।

घ. प्रदर्श प्र.-4 - दिनांक 17.12.2004 को प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में विशेष मुख्तारनामा।

ड. प्रदर्श प्र.-5 - दिनांक 02.01.2006 का नामांतरंण, जो दिल्ली नगर निगम द्वारा कोठी के संबंध में प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में जारी किया गया।

च. प्रदर्श प्र.-6 - दिनांक 02.01.2006 का नामांतरंण, जो दिल्ली नगर निगम द्वारा कोठी के संबंध में प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में जारी किया गया।

छ. मार्क क - प्रतिवादी संख्या 2 की दूसरी पत्नी, श्रीमती शांति देवी द्वारा दिनांक 23.12.1995 को निष्पादित वसीयत।

ज. मार्क ख / मार्क प्र.सा.2/क / प्रदर्श प्र.सा. 6/1 - प्रतिवादी संख्या 2 की वसीयत की प्रमाणित प्रति, जो दिनांक 17.07.2004 को निष्पादित की गई।

झ. प्रदर्श अभि.सा.1/प्र.1 - दिनांक 24.08.2008 का उपहार विलेख ।

ञ. प्रदर्श प्र.सा.1/प्र.1 - प्रतिवादी संख्या 2 का दिनांक 28.08.2004 का चिकित्सीय प्रमाणपत्र, जिसमें उनकी चिकित्सीय स्थिति प्रमाणित की गई है।

ट. प्रदर्श प्र.सा.1/2 से प्र.सा.1/13 - दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी रसीदें तथा कोठी के बिजली और पानी के बिल।

ठ. प्रदर्श प्र.सा. 1/14 से प्र.सा.1/23 - प्रतिवादी संख्या 2 के निर्धारण वर्ष 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 और 2014-2015 के आयकर विवरणी की फोटोकॉपी।

ड. प्रदर्श प्र.प्र.-7 - प्लॉट संख्या सी-1035, सुशांत लोक, गुरुग्राम, हरियाणा से संबंधित बिक्री विलेख।

ढ. प्रदर्श प्र.सा.1/24 (सामूहिक रूप से) - प्रतिवादी संख्या 2 के फ़ोटोग्राफ़।

ण. प्रदर्शनी प्र.सा.1/25 - इस वाद में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेज़ों की सूची।

त. प्रदर्श प्र.सा.1/डीएक्स1 (ओएसआर) - प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में जारी पीआईओ कार्ड की फोटोकॉपी।

II. श्री धर्मेंद्र मोहन - प्र.सा. 2 - (पंजीकरण क्लर्क, उप-पंजीयक कार्यालय-I, मेरठ) का प्रतिपरीक्षण किया गया।

III. श्री राकेश कुमार - प्र.सा. 3 - ज़ोनल इंस्पेक्टर, एसडीएमसी, (सेंट्रल ज़ोन), संवल नगर, नई दिल्ली का मुख्य परीक्षण किया गया और तत्पश्चात उनकी प्रतिपरीक्षा की गई। प्र.सा. 3 ने निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रमाणित किए।

क. प्रदर्श प्र.सा.3/1 (ओएसआर) - प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दाखिल किए गए नामांतरण आवेदन की फोटोकॉपी।

ख. प्रदर्श प्र.सा. 3/2 (ओएसआर) - प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दाखिल किए गए क्षतिपूर्ति बॉन्ड की फोटोकॉपी।

ग. प्रदर्श प्र.सा. 3/3 (ओएसआर) - प्रतिवादी संख्या 3 के शपथपत्र की फोटोकॉपी।

घ. प्रदर्श प्र.सा. 3/4 (ओएसआर) - प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दाखिल किए गए नामांतरण आवेदन की फोटोकॉपी।

ड़. प्रदर्श प्र.सा.3/5 (ओएसआर) - प्रतिवादी संख्या 4 का कोठी संबंधी शपथपत्र की फोटोकॉपी।

च. प्रदर्श प्र.सा. 3/6 (ओएसआर) - प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दाखिल किए गए क्षतिपूर्ति बंधपत्र की फोटोकॉपी।

IV. श्री विनय कुमार दास (प्रतिवादी संख्या 4) ने अपना साक्ष्य शपथपत्र के माध्यम से दाखिल किया था; तथापि, उसे प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता श्री समीर वशिष्ठ द्वारा दिनांक 20.02.2017 को दिए गए बयान के आधार पर साक्षीगण की सूची से हटा दिया गया। अतः श्री भारत संवारिया, अभिलेख रक्षक, उप-पंजीयक-V, महरौली, नई दिल्ली को प्रतिवादी संख्या 4 (प्र.सा.-4) के रूप में परीक्षित किया गया और उसने प्रदर्श अभि.सा.1/प्र.1 सिद्ध किया। हालाँकि, दिनांक 24.08.2004 के उक्त दस्तावेज़ के पृष्ठ संख्या 2 पर '24' मूल में हाथ से भरा गया था, जो प्र.सा.- 4 के अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

V. श्री संतोष कुमार (स्व. चौधरी रणजीत सिंह के ज्येष्ठ पुत्र स्व. चौधरी सिंह प्रतिवादी संख्या 2 के वास्तविक चाचा थे) - प्र.सा. 5, जिसने अपना साक्ष्य शपथपत्र (प्रदर्श प्र.सा.-5/क) के माध्यम से प्रस्तुत किया और उनकी प्रतिपरीक्षा की है।

VI. श्री अशोक सिंह (प्रतिवादी संख्या 2 की वसीयत के प्रमाणित साक्षी) - प्र.सा. 6, जिसने अपना साक्ष्य शपथपत्र (प्रदर्श प्र.सा.-6/क) के माध्यम से प्रस्तुत किया और उसकी प्रतिपरीक्षा की है। प्र.सा. 6 ने निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रदर्श किए।

क. मार्क ख/मार्क प्र.सा.2/क/प्रदर्श प्र.सा.-6/1 - प्रतिवादी संख्या 2 की वसीयत की प्रमाणित प्रति, जो दिनांक 17.07.2004 को निष्पादित की गई थी।

ख. प्रदर्श प्र.सा.-6/2 - साइट प्लान की प्रमाणित प्रति।

निष्कर्ष

35. मैंने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है और पक्षकारों के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना है।

36. मुद्दों का निर्णय निम्नानुसार किया जाता हैः-

मुद्दा नं. 1: वादीगण द्वारा कथित कोई एच.यू.एफ. अधिनियम संख्या 39/2005, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करता है, के लागू होने के समय अस्तित्व में था? ओपीपी

मुद्दा नं. 2: क्या वादपत्र में उल्लिखित संपत्तियां या उनमें से कोई संपत्ति उक्त तिथि को एच.यू.एफ. की संपत्तियां थीं या एच.यू.एफ. के नाम पर रखी गई थीं? ओपीपी

37. ये मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और इनका एक साथ समाधान किया जा रहा है:-

38. श्री निश्चल, वादीगण के विद्वान् अधिवक्ता, यह प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात् राम दास एच.यू.एफ. की स्थापना वर्ष 1978 में, की थी। जब उसने अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति संख्या ए-28, फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली को अपने परिवार की सामूहिक संपत्ति में स्थानांतरित कर दिया, एच.यू.एफ. के अस्तित्व का समर्थन प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निष्पादित पंजीकृत वसीयत दिनांक 11.09.1987 (मार्क एक्स से होता है। इसके अतिरिक्त, एच.यू.एफ. का अस्तित्व आयकर विवरणी में भी घोषित किया गया है, जो आकलन वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 (प्रदर्श अभि./8 से अभि./10)के लिए दाखिल किए गए थे।

39. स्वयं प्रतिवादीगण ने एच.यू.एफ. परिवार (एच.यू.एफ. परिवार) के गठन के संबंध में यह स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि एच.यू.एफ. परिवार का गठन परिवार के सामान्य हित और आयकर बचाने के उद्देश्य से किया गया था। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान प्रतिवादी संख्या 2 के लिखित बयान के पैरा 9 की ओर दिलाया है, जो इस प्रकार है:-

> *9.....संयुक्त परिवार संघ (एचयूएफ) का गठन केवल आयकर बचाने के उद्देश्य से किया गया था, किसी अन्य उद्देश्य से नहीं। किसी भी स्थिति में, संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले, प्रतिवादी और प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ही कथित*

एचयूएफ के एकमात्र सहदायिक थे। प्रतिवादी ने शेष सहदायिकों, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पक्ष में एक उपहार दिया था, जिसे पक्षकारों ने विधिवत स्वीकार कर लिया था और उस पर अमल भी किया था। इस प्रकार, ए-28, फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली स्थित संपत्ति ने संयुक्त परिवार संपत्ति का अपना स्वरूप खो दिया है, भले ही उसने कभी ऐसा स्वरूप धारण किया हो, भले ही इसे अस्वीकार किया गया हो। अतः, वादी सहदायिक होने के नाते इस पर कोई अधिकार नहीं जता सकता है।

40. उसने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने प्रारंभ में प्रतिवादी संख्या 1 के अस्तित्व से इनकार किया था, किंतु कार्यवाही के दौरान उसने बाद में प्रतिवादी संख्या 1 की उत्पत्ति को, यद्यपि यह कहते हुए कि प्रतिवादी संख्या 1 केवल आयकर बचत के उद्देश्य से बनाया गया था, स्वीकार कर लिया। इस संबंध में, वे मेरा ध्यान प्रतिवादी संख्या 3 के साक्ष्य शपथपत्र के पैरा 7 (प्रदर्श प्र.सा. 3/क) की ओर, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 ने निम्ननानुसार अभिसाक्ष्य दिया है, आकर्षित करते हैं:

"7. मैं आगे कहता हूँ कि उपरोक्त संपत्ति स्वर्गीय डॉ. राम दास द्वारा अर्जित की गई थी और उसका अधिग्रहण, निर्माण तथा रखरखाव उनके स्वयं के धन से किया गया था। यह उनका एकमात्र आवासीय मकान था। मैं आगे कहता हूँ कि स्वर्गीय डॉ.

राम दास ने केवल कर बचत के उद्देश्य से एक एच.यू.एफ. स्थापित किया, जिसमें उसने स्वयं, उनकी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी, शपथपत्र के दाता और डॉ. विनय कुमार दास को ही सहदायिकी के रूप में नामित किया था, और यह व्यवस्था संपत्ति संख्या ए-28, फ्रेंड्स कॉलोनी (ईस्ट), नई दिल्ली के संबंध में थी। उक्त संपत्ति का अधिग्रहण, निर्माण और रखरखाव स्वर्गीय डॉ. राम दास ने अपने निजी धन से किया था और यह उनका एकमात्र आवासीय मकान था। मैं आगे कहता हूँ कि यद्यपि संपत्ति का स्वरूप कभी बदला नहीं गया, लेकिन केवल कर बचत के उद्देश्य से भूतल का किराया आय एच.यू.एफ. की आय के रूप में दिखाई गई। यह स्पष्ट है कि संपत्ति को कभी भी कथित साझा कोष में डालने का इरादा नहीं था और उसका स्वरूप व्यक्तिगत संपत्ति से एच.यू.एफ. संपत्ति में बदलने का प्रयास नहीं किया गया। यह तथ्य इस बात से भी प्रमाणित होता है कि संपत्ति का स्थाई पट्टे स्वर्गीय डॉ. राम दास के व्यक्तिगत नाम पर लिया गया था और बाद में हस्तांतरण अभिलेख भी एच.यू.एफ. संपत्ति के रूप में न करके, उनके व्यक्तिगत नाम पर प्राप्त और पंजीकृत किया गया था।

41. उन्होंने कहा है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने भी अपनी दिनांक 11.09.1987 की वसीयत (चिह्न एक्स) में एचयूएफ की संपत्तियों का सीमांकन किया है और एचयूएफ में अपना हिस्सा अपनी दूसरी पत्नी श्रीमती शांति देवी और प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पक्ष में वसीयत किया है। उक्त वसीयत विधिवत पंजीकृत भी है और पक्षकारों ने उस पर अमल किया है, जो स्पष्ट रूप से एचयूएफ के अस्तित्व को दर्शाता है। दिनांक 11.09.1987 की वसीयत का मुख्य भाग इस प्रकार है:-

> *"और चूंकि मैं एतद्द्वारा वसीयत करता/करती हूं कि मेरी मृत्यु के बाद, उक्त एच.यू.एफ. से संबंधित फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली में स्थित मकान संख्या ए-28 में मेरा एक चौथाई हिस्सा मेरे दो पुत्रों, डॉ. विजय कुमार दास और डॉ. विनय कुमार दास तथा मेरी पत्नी श्रीमती शांति देवी को बराबर-बराबर दिया जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि तीनों को मकान में 1/12वां हिस्सा भी प्राप्त होगा। यूनिट ट्रस्ट में निवेश और खाता संख्या 67992 में बैंक बैलेंस में मेरे उपरोक्त हिस्से के संबंध में, मेरे दो पुत्रों, डॉ. विजय कुमार दास और डॉ. विनय कुमार दास तथा मेरी पत्नी श्रीमती शांति देवी को बराबर-बराबर हिस्सा मिलेगा।"*

42. वह यह कहता है कि एच.यू.एफ. का अस्तित्व जारी है क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा न तो कोई विभाजन विलेख दाखिल किया गया है और न ही आयकर

अधिनियम की धारा 171 के अंतर्गत कोई आदेश प्रस्तुत किया गया है। यह आगे कहा गया है कि उक्त एच.यू.एफ. केवल उसकी संपत्तियों के पूर्ण विभाजन के माध्यम से ही समाप्त हो सकता है, जो अब तक नहीं हुआ है। अतः एच.यू.एफ. यथावत् बना हुआ है और उसका विघटन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, एच.यू.एफ. का विघटन या एच.यू.एफ. की संपत्तियों में अधिकारों का हस्तांतरण निम्न कारणों से नहीं हो सकता है:

क. स्व. श्रीमती शांति देवी (प्रतिवादी संख्या 2 की दूसरी पत्नी) की 1995 में निष्पादित वसीयत एच.यू.एफ. को स्वतः समाप्त नहीं करती है।

ख. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 17.07.2004 को निष्पादित वसीयत (चिह्न ए) प्रारंभ से ही अमान्य है या अन्यथा भी महत्वहीन है क्योंकि इसे प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में निष्पादित किया था, जबकि वह संपत्ति का एकमात्र और पूर्ण स्वामी नहीं था और वह वसीयत में दावा किए अनुसार संपत्ति का दान नहीं कर सकता था। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने ***जुगल किशोर बनाम रोशन लाल व अन्य*** (2017 एससीसी ऑनलाइन डेल 8732) पर भरोसा जताया है।

ग. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 24.08.2004 को कोठी के संबंध में निष्पादित उपहार विलेख (प्रदर्श अभि.सा.1/प्र.1) प्रारंभ से ही शून्य है

क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात् दाता कोठी का पूर्ण स्वामी नहीं था। प्रतिवादी संख्या 2 ने उपहार विलेख अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, यह दावा करते हुए कि वह कोठी का एकमात्र और पूर्ण स्वामी है, बनाया है, जबकि उक्त संपत्ति वर्ष 1978 में पहले ही विशेष रूप से एच.यू.एफ. की संपत्ति घोषित की जा चुकी थी। इस संबंध में, अधिवक्ता ने ***थम्मा वेंकटा सुब्बम्मा (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम थम्मा रत्तम्मा*** (1987) 3 एससीसी 294 पर भरोसा किया है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 द्वारा दाखिल किए गए उपहार विलेख पर उल्लिखित निष्पादन तिथि कलम से हस्तलिखित है, जो प्रतिवादी प्र.सा. 4 अर्थात् अभिलेख संरक्षक, उप-पंजीयक V, महरौली द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ से भिन्न है, जिसमें निष्पादन तिथि अनुपस्थित है। इसके अतिरिक्त, उपहार विलेख पर कभी अमल नहीं किया गया क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 कोठी से किराये की आय प्राप्त करता रहा और वही आय एच.यू.एफ. के खाते में जमा की जाती रही है।

43. वह आगे यह कहता है कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, वादीगण द्वारा कुछ संपत्तियाँ/संपत्ति अधिकार खोजे गए हैं, अर्थात् एच.यू.एफ. के नाम पर एस.बी.आई., फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली में स्थित पी.पी.एफ. खाता संख्या 10485058884 और एक दुकान संख्या एफएफ18, जो प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के नाम पर बुक की गई है, जो सुशांत लोक व्यापार केंद्र,

गुड़गाँव में स्थित है। यह कहा गया है कि उक्त संपत्तियाँ/संपत्ति अधिकार एच.यू.एफ. के धन से खरीदे गए हैं और उनका निपटारा नहीं किया गया है, अतः दिनांक 09.09.2005 पर वो एच.यू.एफ. की संपत्तियाँ थीं।

44. वह आगे यह प्रस्तुत करता है कि अन्य अचल संपत्तियाँ, अर्थात् सी-1034 और सी-1035, सुशांत लोक-I, गुरुग्राम, हरियाणा, भी एच.यू.एफ. के धन से खरीदी गई थीं और इसलिए एच.यू.एफ. की संपत्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त, एच.यू.एफ. के पास चल संपत्तियाँ भी हैं, जिनमें 7,700 यूनिट्स यू.टी.आई. की, जिनकी कीमत 1 लाख रूपये है, बैंक खाता संख्या 67972 (जिसे बाद में पुनः क्रमांकित कर 525-1-008486-5 किया गया) में शेष राशि, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (पूर्व में ग्रिंडलैज़ बैंक), संसद मार्ग, नई दिल्ली में है, तथा बैंक खाता संख्या 2380241 में शेष राशि, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली में है, शामिल हैं। ये संपत्तियाँ भी एच.यू.एफ. की संपत्तियाँ थीं और दिनांक 09.09.2005 को विभाजन के लिए उपलब्ध थीं, अर्थात् जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की संशोधित धारा 6 लागू हुई।

45. चूँकि प्रतिवादीगण ने वादीगण को अलग रखते हुए एच.यू.एफ. की आय का अनुचित उपयोग किया है, अतः वादकारी उपर्युक्त संपत्तियों में अपने वैध हिस्से के अधिकारी हैं, जिसमें एच.यू.एफ. संपत्ति से प्राप्त किराये का लेखा-जोखा भी शामिल है।

46. श्री वशिष्ठ, प्रतिवादीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता, वादीगण द्वारा उठाए गए तर्कों का जोरदार विरोध करते हैं और यह कहते हैं कि एच.यू.एफ. केवल आयकर उद्देश्यों के लिए बनाया गया था और न तो कोई इरादा था और न ही यहाँ कोई कार्य किया गया था जिससे अचल संपत्ति अर्थात् कोठी को साझा निधि में डाला जा सके। इसके अलावा, जब कथित एच.यू.एफ. का गठन किया गया था, उस समय कोई पूर्व-विद्यमान साझा निधि/पैतृक संपत्ति/ संयुक्त परिवार का फंड अस्तित्व में नहीं था।

47. उनका कहना है कि पैतृक संपत्तियों/मूल इकाई के अभाव में, विलय की कोई अवधारणा लागू नहीं होती है और विलय न होने की स्थिति में संपत्ति व्यक्तिगत रूप से ही रखी जाती है और संयुक्त परिवार की संपत्ति का स्वरूप नहीं लेती है। वरिष्ठ विद्वान् अधिवक्ता ने ***जुपुडी वेंकटा विजयभास्कर बनाम जुपुडी केसवा राव व अन्य*** 1994 एससीसी एपी1; ***मल्लेसप्पा बांडेप्पा देसाई एवं अन्य बनाम देसाई मल्लप्पा उर्फ मल्लेसप्पा एवं अन्य*** 1961 एससीसी ऑनलाइन एससी 270; ***गोली ईश्वरैया बनाम उपहार कर आयुक्त, आंध्र प्रदेश*** 1970 (2) एससीसी 390 पर भरोसा किया है। इस संबंध में, प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने शपथपत्र (प्रदर्श प्र.सा. 3/क) द्वारा साक्ष्य में निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया:-

> *"7....मैं आगे यह कहता हूँ कि चूँकि कोई भी पैतृक निधि, पैतृक आय या अभिभावकीय आय, जो स्वर्गीय डॉ. राम दास के हिस्से*

में आई हो या उनके लिए उपलब्ध रही हो, अस्तित्व में नहीं थी, अतः उक्त संपत्ति हमेशा व्यक्तिगत संपत्ति ही रही है। मैं आगे यह कहता हूँ कि यहाँ तक कि पट्टाधिकार को भी पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तित कर दिया गया और हस्तांतरण विलेख स्वर्गीय डॉ. राम दास के नाम पर उनकी व्यक्तिगत क्षमता में दिनांक 21.11.2001 को निष्पादित किया गया, जिसे प्रदर्श प्र.-3 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।"

48. वह आगे यह कहता है कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त किसी भी पैतृक संपत्ति के अस्तित्व का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी पैतृक संपत्ति के अस्तित्व को साबित करने का भार पूरी तरह वादीगण पर ही है। वादी संख्या 1 की प्रतिपरीक्षा से भी यह स्पष्ट होता है कि वादी एच.यू.एफ. का कोई पैतृक संयुक्त परिवार फंड दिखाने में असमर्थ रहे हैं।

49. इस संबंध में श्री संतोष कुमार (प्र.सा..-5) ने अपने साक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि:-

" 2.मैं आगे यह कहता हूँ कि स्वर्गीय डॉ. राम दास ने गाँव मंगलौर (निभारा), ज़िला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में स्थित 7 बीघा कृषि भूमि विरासत में प्राप्त की थी। मैं आगे यह कहता हूँ कि यद्यपि उक्त भूमि स्वर्गीय डॉ. राम दास ने विरासत में प्राप्त

की थी, परंतु वह भूमि सदैव हमारे परिवार के कब्जे, खेती और नियंत्रण में रही है।

3. मैं आगे यह कहता हूँ कि यद्यपि उक्त भूमि स्वर्गीय डॉ. राम दास ने विरासत में प्राप्त की थी, परंतु उन्होंने स्वयं शिक्षा प्राप्त की और कभी उस भूमि की खेती नहीं की तथा उससे कोई लाभ भी नहीं लिया है।

4. मैं आगे यह कहता हूँ कि स्वर्गीय डॉ. राम दास ने उक्त भूमि पर अपने अधिकार त्याग दिए थे और न तो उसने उस भूमि के लिए कोई मुआवज़ा माँगा और न ही उससे प्राप्त आय में कोई हिस्सा माँगा।"

50. वे यह कहते है कि प्रतिवादी संख्या 2 के पास किसी भी पैतृक संपत्ति का न होना, प्रतिवादी संख्या 2 की आत्मकथा (प्रदर्श अभि.-1) में भी दोहराया गया है।

51.वह आगे यह कहता है कि प्रतिवादीगण ने एक स्पष्ट रुख अपनाया है कि कोठी प्रतिवादी संख्या 2 की स्वयं अर्जित संपत्ति थी और उन्होंने एक पंजीकृत उपहार विलेख प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पक्ष में निष्पादित किया, जिसके द्वारा उसने उक्त संपत्ति में अपने सभी अधिकार त्याग दिए और पूरी संपत्ति

को विभाजित कर निर्दिष्ट हिस्सों का स्वामित्व प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को प्रदान किया है।

52. वह आगे यह प्रस्तुत करता है कि वादीगण ने इस आरोप को पुष्ट करने हेतु कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि एच.यू.एफ. का गठन वर्ष 1978 में हुआ था। यह आरोप किसी भी दस्तावेज़ या अभिलेख पर उपलब्ध विश्वसनीय साक्ष्य से समर्थित नहीं है। इसके अतिरिक्त, वादीगण ने कथित एच.यू.एफ. से संबंधित किसी भी निधि या आय की उपलब्धता प्रदर्शित नहीं की है।

53. वह आगे यह प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कोई एच.यू.एफ. गठित नहीं किया गया था। तथापि, इस कथन को प्रभावित किए बिना, यदि यह मान भी लिया जाए कि एच.यू.एफ. अस्तित्व में था, तो वह दिनांक 08.03.1997 को समाप्त हो गया जब श्रीमती शांति देवी का निधन हुआ, जिसने दिनांक 23.12.1995 को एक वसीयत बनाई थी, जिसके द्वारा उन्होंने एच.यू.एफ. संपत्ति में अपने हिस्से को प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को दे दिया, और इस प्रकार सहदायिकी सह-स्वामी में परिवर्तित हो गए। वह आगे यह प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने कोठी में अपने अधिकारों को प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को एक विधिवत पंजीकृत उपहार विलेख के माध्यम से प्रदान कर दिया। उपहार विलेख (प्रदर्श अभि.सा.1/प्र.1) और दिनांक 17.07.2004 की वसीयत (मार्क ख/मार्क प्र.सा.2/ए/प्रदर्श प्र.सा.6/1) में, प्रतिवादी संख्या 2 ने कोठी का सीमांकन कर स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत

हिस्सों/निर्दिष्ट क्षेत्रों का विभाजन प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पक्ष में कर दिया। इसके अतिरिक्त, कोठी के संबंधित हिस्से प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के कब्जे में हैं, विधिवत उनके नाम पर दर्ज नामांतरण हो चुके हैं और वे दिनांक 24.08.2004 से अपने-अपने हिस्सों के पानी और बिजली के बिल अदा कर रहे हैं।

54. वह आगे यह प्रस्तुत करता है कि संपत्तियाँ सी-1034 और सी-1035, सुशांत लोक-I, गुरुग्राम, हरियाणा, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने अपनी स्वयं की निधियों से खरीदी हैं और इनका एच.यू.एफ. से कोई संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त, वादपत्र में उल्लिखित कोई भी संपत्ति दिनांक 09.09.2005 को, अर्थात् जिस दिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू हुआ, विभाजन के लिए उपलब्ध नहीं थी। साथ ही, चूँकि वादी संख्या 1 ने एक पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम से विवाह किया है, वह विशेष विवाह अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत हिंदू रहना बंद कर चुकी है, जो स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत संपन्न विवाह किसी भी ऐसे परिवार से विच्छेद का कारण बनता है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत आता हो।

55. विषय में आगे बढ़ने से पूर्व, यह अत्यावश्यक है कि एच.यू.एफ. के अस्तित्व की जाँच की जाए। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी दिनांक 11.09.1987 की वसीयत (मार्क एक्स) में स्पष्ट रूप से एच.यू.एफ. और

उसकी संपत्तियों के गठन को स्वीकार किया, जिसमें उसने एच.यू.एफ. संपत्तियों में अपने एक-चौथाई हिस्से को अपनी दूसरी पत्नी, श्रीमती शांति देवी, तथा अपने दो पुत्रों, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को दे दिया। इसी प्रकार, श्रीमती शांति देवी ने अपनी दिनांक 23.12.1995 की वसीयत (मार्क ए) में यह पुष्टि की कि कोठी को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एच.यू.एफ. का हिस्सा बनाया गया था। यद्यपि ये दस्तावेज़ प्रदर्शित नहीं किए गए हैं, तथापि इन्हें प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा दाखिल किया गया है और वादीगण द्वारा इनकी प्रामाणिकता पर कोई विवाद नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी लिखित बयान के पैरा 9 में और प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने शपथपत्र (प्रदर्श प्र.सा. 3/क) के पैरा 7 में स्पष्ट रूप से एच.यू.एफ. के अस्तित्व को स्वीकार किया है, यद्यपि उसने यह दावा किया कि इसे केवल आयकर बचाने के उद्देश्य से बनाया गया था। उसने यह कहा है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने एच.यू.एफ. की स्थापना की, जिसमें वह स्वयं, उनकी दूसरी पत्नी अर्थात् श्रीमती शांति देवी, और प्रतिवादी संख्या 3 तथा 4 सहदायिकी के रूप में सम्मिलित थे। कोठी को भी एच.यू.एफ. का हिस्सा के रूप में पहचाना गया था। इसके अतिरिक्त, एच.यू.एफ. का अस्तित्व आयकर प्राधिकरणों के समक्ष भी प्रदर्शित किया गया है, एच.यू.एफ. के आयकर विवरणी में, जो आकलन वर्ष 2005-06; 2006-07; 2007-08 (प्रदर्श अभि./8 - अभि./10) से संबंधित हैं। अतः, पक्षकारों द्वारा की गई निरंतर घोषणाओं

और उनके आचरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात् रामदास एच.यू.एफ. का अस्तित्व नकारा नहीं जा सकता है।

56. प्रतिवादीगण द्वारा उठाए गए यह तर्क कि एच.यू.एफ. के गठन के समय कोई पैतृक संपत्ति या केन्द्र अस्तित्व में नहीं था और बिना 'सम्मिश्रण' की अवधारणा के कोठी को एच.यू.एफ. का स्वरूप नहीं दिया जा सकता, निराधार है।

57. वर्तमान मामले में, कोठी प्रतिवादी संख्या 2 की स्वयं अर्जित संपत्ति थी और जब वर्ष 1978 में एच.यू.एफ. का गठन किया गया, उस समय कोई पैतृक संपत्ति/मूल (nucleus) उपलब्ध नहीं था। तथापि, तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वयं ही कोठी को प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात् रामदास एच.यू.एफ. के सामूहिक संपत्ति में अपने परिवार के सामूहिक हित के लिए सम्मिलित कर दिया।

58. प्रतिवादी संख्या 2, एच.यू.एफ. के *कर्ता* के रूप में कार्य करते हुए, कोठी को एच.यू.एफ. की संपत्तियों/संपत्ति के सामूहिक संपत्ति में सम्मिलित करने का स्पष्ट इरादा रखते थे। प्रतिवादी संख्या 2 के स्पष्ट इरादे और उनके आचरण को देखते हुए, प्रतिवादीगण द्वारा उठाया गया यह तर्क कि कोई संपत्ति/संयुक्त परिवार फंड नहीं थी या सम्मिश्रण की अवधारणा लागू नहीं होती, निराधार है।

59. मेरे विचार में, कोठी एच.यू.एफ. का हिस्सा थी और उसने संयुक्त परिवार संपत्ति का स्वरूप प्राप्त कर लिया था। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि एच.यू.एफ. का गठन तब भी किया जा सकता है जब कोई पूर्व-स्थित सहदायिकी /हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति उपलब्ध न हो। इस संबंध में, इस न्यायालय द्वारा ***कैप्टन भूपिंदर सिंह सूरी बनाम नरेश कुमार सूरी एवं अन्य*** 2017 एस.सी.सी. ऑनलाइन डीईएल 7214 में दिया गया निर्णय प्रासंगिक है। प्रचालन भाग निम्नानुसार है:-

> *"36. मैं यह रेखांकित करता हूँ (यद्यपि यह पहले ही सुरजीत लाल छाबड़ा तथा केवल कृष्ण मेयर के मामलों में माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिपादित तर्क है) कि वर्तमान मामले में मेजर खेमराज सूरी ने दिनांक 25 फरवरी, 1969 की घोषणा द्वारा स्वयं, अपनी पत्नी और अपने पुत्रों को सम्मिलित करते हुए एच.यू.एफ. का गठन किया। यह ऐसा नहीं है कि एच.यू.एफ. का गठन किसी अजनबियों के साथ किया गया हो। एच.यू.एफ. का गठन उसकी पत्नी, पुत्रों और पुत्रियों के साथ किया गया था, जिनके साथ विधि के अनुसार एच.यू.एफ. बनाया जा सकता है। एच.यू.एफ. का गठन मेजर खेमराज सूरी द्वारा एकतरफा घोषणा के माध्यम से किया गया था और यह उसकी पत्नी, पुत्रों एवं पुत्रियों के साथ किसी संविदा के आधार पर नहीं था। मुल्ला ने*

हिंदू विधि (21वाँ संस्करण, 2010) में अध्याय XII के अनुच्छेद 212, जिसका शीर्षक 'सहदायिकी का गठन' है, में लिखा है कि संयुक्त हिंदू परिवार, जिसमें सहदायिकी होती है, की अवधारणा एक सामान्य पुरुष पूर्वज और उसकी पुरुष वंशावली में चार पीढ़ियों तक के उत्तराधिकारियों (पूर्वज सहित) या तीन पीढ़ियों तक (पूर्वज को छोड़कर) होती है। किसी भी सहदायिकी की शुरुआत एक सामान्य पुरुष पूर्वज के बिना नहीं हो सकती, यद्यपि उसकी मृत्यु के बाद इसमें पार्श्व संबंधी जैसे भाई, चाचा, भतीजे, चचेरे भाई आदि सम्मिलित हो सकते हैं। और यह कि कोई स्त्री सहदायिकी नहीं हो सकती, यद्यपि वह संयुक्त हिंदू परिवार की सदस्य हो सकती है। मैं यह भी नहीं मानता कि कोई हिंदू पुरुष, जो अपनी पत्नी, पुत्रों और पुत्रियों के साथ संयुक्त रूप से रह रहा है, भले ही कोई संयुक्त परिवार संपत्ति न हो और विधि की दृष्टि से एच.यू.एफ. के नाम पर कोई संयुक्तता न हो, संयुक्त हिंदू परिवार या हिंदू अविभाजित परिवार का गठन अपनी पत्नी, पुत्रों और पुत्रियों के साथ नहीं कर सकता, अथवा ऐसा करने के लिए उसे पोते और परपोते होने तक प्रतीक्षा करनी पड़े।

37. यह तर्क कि कोई हिंदू पुरुष अपनी पत्नी, पुत्रों और पुत्रियों के साथ संयुक्त हिंदू परिवार या हिंदू अविभाजित परिवार का

गठन नहीं कर सकता, यदि उसके पास कोई मौजूदा संयुक्त परिवार/सहदायिकी/हिंदू अविभाजित परिवार या मौजूदा संयुक्त परिवार संपत्ति/सहदायिकी संपत्ति/हिंदू अविभाजित परिवार संपत्ति नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि युक्त उत्तराधिकारी/संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों के बीच विभाजन के बाद भी, जब कोई संयुक्त परिवार/संयुक्त हिंदू परिवार/सहदायिकी अस्तित्व में नहीं रहती, वे पुनः एकत्रित हो सकते हैं और एक नया संयुक्त हिंदू परिवार/संयुक्त हिंदू परिवार/सहदायिकी पुनः अस्तित्व में आ सकती है। *इस संदर्भ में भगवान दयाल बनाम रेओती देवी एआईआर 1962 एससी 287 तथा अनिल कुमार मित्र बनाम गणेंद्र नाथ मित्र (1997) 9 एससी 725 का उल्लेख किया जा सकता है।*

38. मैं यह भी पाता हूँ कि सुरेंद्र कुमार बनाम धनी राम एआईआर 2016 डीईएल 120 में समन्वय न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के बाद, एचयूएफ/संयुक्त हिंदू परिवार केवल तभी अस्तित्व में आ सकता है जब किसी व्यक्ति की संपत्ति को परिवार के सामूहिक संपत्ति में डाला जाए।

(जोर दिया गया)

60. अगला मुद्दा यह निर्धारित करने का है कि क्या एच.यू.एफ. का विघटन श्रीमती शांति देवी की वसीयत दिनांक 23.12.1995 (मार्क ए) के निष्पादन पर हुआ था, जिसमें उसने कोठी में अपने 1/4 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को वसीयत किया था, और तत्पश्चात दिनांक 24.08.2024 (प्रदर्श अभि.सा.1/प्र.1) को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निष्पादित उपहार-विलेख के माध्यम से, जिसके द्वारा उसने कोठी को प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को उपहार में दे दिया, अंततः प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को कोठी के पूर्ण स्वामी बना दिया है।

61. वर्तमान मामले में, एच.यू.एफ. का गठन चार सहदायिकी के साथ किया गया था: (i) प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात् श्री राम दास (अब दिवंगत), (ii) श्रीमती शांति देवी (अब दिवंगत), (iii) प्रतिवादी संख्या 3 और (iv) प्रतिवादी संख्या 4।

62. श्रीमती शांति देवी, सहदायिकी होने के नाते, एच.यू.एफ. की संपत्तियों में अपने हिस्से का निपटान करने की अधिकारिणी थीं। उसने ऐसा दिनांक 23.12.1995 (मार्क ए) को वसीयत निष्पादित करके किया, जिसके द्वारा उसने अपनी एच.यू.एफ. संपत्तियों का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पक्ष में वसीयत किया है। उसकी वसीयत के अनुसार, कोठी के भूतल में उनका हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 को जाना था और प्रथम तथा द्वितीय तल

सहित *बरसाती* में उनका हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 को जाना था। गैरेज और नौकरों के निवास में उनका हिस्सा भी दोनों पुत्रों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना था। फलस्वरूप, जब उनकी मृत्यु दिनांक 08.03.1997 को हुई, तो एच.यू.एफ. में प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 शामिल थे।

63. प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 24.08.2004 को उपहार-विलेख के माध्यम से कोठी को प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को उपहार में दे दिया। उपहार-विलेख दिनांक 24.08.2004 का है और उसी दिन इसे उप-पंजीयक के समक्ष विधिवत, पंजीकरण संख्या 10760, पुस्तक संख्या 1, खंड 4258, पृष्ठ 105 से 121 में, पंजीकृत किया गया था। उपहार-विलेख के माध्यम से कोठी का विभाजन सीमाओं और चिन्हों द्वारा, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को उनके-अपने हिस्सों/निर्धारित क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से आवंटन किया गया, किया गया था। कोठी का भूतल, एक गैरेज, खुला स्थान और लॉन प्रतिवादी संख्या 3 के विशेष स्वामित्व में जाना था, जबकि प्रथम और द्वितीय तल, छत के अधिकारों सहित, एक गैरेज और नौकरों का निवास प्रतिवादी संख्या 4 के विशेष स्वामित्व में जाना था।

64. दिनांक 24.08.2004 को, प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 ही एच.यू.एफ. के सहदायिकी थे और उपहार-विलेख प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 और 4 की सहमति से निष्पादित किया गया था, जिसके तहत प्रतिवादी

संख्या 2 ने उपहारदाता के रूप में हस्ताक्षर किए और प्रतिवादी संख्या 3 तथा 4 ने उपहारग्राही के रूप में हस्ताक्षर किए।

65. मेरे विचार में, उपहार विलेख (प्रदर्श अभि.सा.1/प्र.1) के निष्पादन के साथ ही कोठी ने संयुक्त परिवार संपत्ति का स्वरूप दिनांक 24.08.2004 को खो दिया, अर्थात् जिस दिन उपहार-विलेख विधिवत पंजीकृत हुआ है। इस संदर्भ में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***वी.एन. सारिन बनाम मेजर अजीत कुमार पोपलाई*** 1965 एससीसी ऑनलाइन 301 में, *अन्य बातों के साथ-साथ* यह अभिनिर्धारित किया है:-

> *"10.....सामूहिक हित और संयुक्त कब्जा संपत्ति सहदायिकी की आवश्यक विशेषताएँ हैं; और इसलिए, विभाजन का वास्तविक प्रभाव यह होता है कि प्रत्येक सहदायिकी को परिवार की संपूर्ण संपत्ति में उसके अविभाजित अधिकार के बदले एक निश्चित संपत्ति मिल जाती है। अन्य शब्दों में, विभाजन के समय यह होता है कि जिन संपत्तियों का आवंटन व्यक्तिगत सहदायिकी को किया जाता है, उनके बदले वे शेष संपत्तियों पर अपने अधिकार का परित्याग कर देते हैं; उन्हें आवंटित संपत्तियों पर विशिष्ट स्वामित्व प्राप्त हो जाता है और परिणामस्वरूप वे बाकी संपत्ति पर अपने अनिश्चित अधिकार का त्याग कर देते हैं। अन्य शब्दों में, विभाजन के समय यह होता है कि संयुक्त रूप से सभी*

सहदायिकी द्वारा संपत्ति का उपभोग उनके-अपने हिस्सों में आवंटित संपत्तियों के व्यक्तिगत उपभोग में परिवर्तित हो जाता है। जिन संपत्तियों का आवंटन व्यक्तिगत सहदायिकी को किया जाता है, उनके बदले वे शेष संपत्तियों पर अपने अधिकार का परित्याग कर देते हैं; उन्हें आवंटित संपत्तियों पर विशिष्ट स्वामित्व प्राप्त हो जाता है और परिणामस्वरूप वे बाकी संपत्ति पर अपने अनिश्चित अधिकार का त्याग कर देते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार संपत्ति के इस मूल स्वरूप को देखते हुए, यह नकारा नहीं जा सकता कि प्रत्येक सहदायिकी का उस संपत्ति पर पूर्ववर्ती अधिकार होता है, यद्यपि उसका परिमाण तब तक निश्चित नहीं होता जब तक विभाजन नहीं हो जाता है। अन्य शब्दों में, विभाजन का वास्तविक अर्थ यह है कि प्रारंभ में सभी सहभाजकों का परिवार की संपूर्ण संपत्ति पर संयुक्त अधिकार होता है, लेकिन विभाजन के द्वारा यह संयुक्त अधिकार परिवर्तित होकर प्रत्येक सहदायिकी के लिए अलग-अलग संपत्तियों पर व्यक्तिगत अधिकार बन जाता है, जो उन्हें उनके-अपने हिस्से के रूप में आवंटित की जाती हैं। यदि यही विभाजन का वास्तविक स्वरूप है, तो श्री पुरशोत्तम द्वारा उठाया गया यह व्यापक प्रतिविरोध स्वीकार करना आसान नहीं होगा कि अविभाजित हिंदू परिवार

की संपत्ति का विभाजन अनिवार्य रूप से संपत्ति का हस्तांतरण व्यक्तिगत सहदायिकी को करता है। जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने गिरजा बेड बनाम सदाशिव धुंडीराज [43 अंतर.आ. 151, पृष्ठ 161] में स्पष्ट किया गया था "की सहदायिकी को कोई नया अधिकार नहीं देता और न ही उसमें कोई अधिकार उत्पन्न करता है; यह केवल उसे उसकी अपनी संपत्ति को एक निश्चित और विशिष्ट रूप में प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, ताकि वह अपने पूर्व सह-भागीदारों की इच्छा से स्वतंत्र होकर उसका निपटान कर सके।"

(जोर दिया गया)

66. इस प्रकार, उपहार-विलेख के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 ने कोठी में अपने अधिकार प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को उपहारस्वरूप दे दिए और सहदायिकी संपत्ति अर्थात् कोठी का विभाजन सीमाओं और हिस्सों के अनुसार हो गया। उपहार-विलेख का प्रभावी भाग इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

"उपहार विलेख

यह उपहार विलेख दिनांक 24 अगस्त, 2004 को दिल्ली में श्री राम दास के पुत्र डॉ. राम दास द्वारा बनाया और निष्पादित

किया गया है। ए-28, फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली के निवासी बी. सिंह, जिसे इसके बाद एक हिस्से का 'दाता' कहा जाता है।

के पक्ष में

(i) डॉ. विजय कुमार दास (ii) डॉ. विनय कुमार दास, डॉ. राम दास के पुत्र, दोनों निवासी ए-28, फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली, जिन्हें आगे प्राप्तकर्ता कहा जाएगा, और जो रक्त संबंध रखते हैं, क्योंकि प्राप्तकर्ता दाता के पुत्र हैं।

प्राप्तकर्ताओं की अभिव्यक्ति का अर्थ होगा और इसमें उनके-अपने विधिक उत्तराधिकारी, उत्तरवर्ती, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अधिकार ग्रहण करने वाले सम्मिलित होंगे।

.....

और जबकि दाता एकमात्र, पूर्ण एवं विशिष्ट स्वामी है तथा फ्रीहोल्ड निर्मित संपत्ति, जिसका नंबर ए-28 है, क्षेत्रफल 501.67 वर्ग मीटर, जो फ्रेंड्स कॉलोनी रेज़िडेंशियल स्कीम के लेआउट प्लान में दर्शाई गई है, जिसे अब फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है, के साथ-साथ उसके नीचे की भूमि के पूर्ण स्वामित्व अधिकारों सहित, के कब्जे में है।

और जबकि उक्त दाता अपने पुत्रों को उपहारस्वरूप उक्त पूर्ण स्वामित्व निर्मित संपत्ति प्रदान करने की इच्छा रखता है और प्रदान कर रहा है, अर्थात् (i) डॉ. विजय कुमार दास - संपूर्ण भूतल का हिस्सा, बिना छत/टेरस अधिकारों के, साथ ही सामने का लॉन और पीछे का आँगन, भूतल पर बाईं ओर का एक गैरेज तथा गैरेज के ऊपर एक नौकर का कमरा; और (ii) डॉ. विनय कुमार दास - संपूर्ण प्रथम तल तथा द्वितीय तल पर एक बरसाती और ममटी, संपूर्ण छत/टेरस अधिकारों सहित, भूतल पर दाईं ओर का एक गैरेज तथा गैरेज के ऊपर एक नौकर का कमरा; यह सब उपरोक्त वर्णित फ्रीहोल्ड संपत्ति से, प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण, बिना किसी आर्थिक प्रतिफल के, स्वस्थ शरीर और सक्षम मनोदशा में प्रदान किया जा रहा है।

(i) डॉ. विजय कुमार का हिस्सा :

संपूर्ण भूतल का हिस्सा, बिना छत/टेरस अधिकारों के, सामने का लॉन और पीछे का आँगन सहित, भूतल पर बाईं ओर का एक गैरेज तथा गैरेज के ऊपर एक नौकर का कमरा, भूमि अधिकारों सहित, उपरोक्त फ्रीहोल्ड निर्मित संपत्ति सं. ए-28, क्षेत्रफल 501.67 वर्ग मीटर से, जो फ्रेंड्स कॉलोनी रेज़िडेंशियल स्कीम के

लेआउट प्लान में दर्शाई गई है और अब फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली के नाम से जानी जाती है, साथ ही उसके नीचे की भूमि पर अनुपातिक, अविभाज्य और अप्रत्यार्पणीय अधिकार, जो साइट प्लान में हरे रंग से दर्शाए गए हिस्से और पीले रंग से दर्शाए गए साझा हिस्से के रूप में अधिक विशेष रूप से अंकित हैं।

(ii) डॉ. विजय कुमार का हिस्सा :

संपूर्ण प्रथम तल तथा द्वितीय तल पर एक बरसाती और ममटी, संपूर्ण छत/टेरस अधिकारों सहित, भूतल पर दाईं ओर का एक गैरेज तथा गैरेज के ऊपर एक नौकर का कमरा, छत अधिकारों सहित, उपरोक्त फ्रीहोल्ड निर्मित संपत्ति सं. ए-28, क्षेत्रफल 501.67 वर्ग मीटर से, जो फ्रेंड्स कॉलोनी रेज़िडेंशियल स्कीम के लेआउट प्लान में दर्शाई गई है और अब फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली के नाम से जानी जाती है, साथ ही उसके नीचे की भूमि पर अनुपातिक, अविभाज्य और अप्रत्यार्पणीय अधिकार, जो साइट प्लान में लाल रंग से दर्शाए गए हिस्से और पीले रंग से दर्शाए गए साझा हिस्से के रूप में अधिक विशेष रूप से अंकित हैं।

अब यह विलेख निम्नलिखित रूप में साक्ष्य देता है:-

1. उक्त संपत्ति के संबंधित हिस्सों का वास्तविक, भौतिक कब्जा दाता द्वारा प्राप्तकर्ताओं को इस उपहार-विलेख से पूर्व ही सौंपा जा चुका है और प्राप्तकर्ताओं ने उसे अधिग्रहित कर लिया है। अब दाता द्वारा प्राप्तकर्ताओं को स्वामित्व/प्रतीकात्मक कब्जा सौंपा जा रहा है।

2. सभी पूर्व बकाया जैसे मकान-कर, बिजली और पानी के बिल आदि दाता द्वारा चुका दिए गए हैं और प्राप्तकर्ताओं को किसी भी प्रकार का भार या देयता नहीं है। कि उक्त संपत्ति के सभी पूर्व बकाया जैसे मकान-कर, बिजली और पानी के बिल आदि, इस उपहार-विलेख के निष्पादन की तिथि तक दाता द्वारा संबंधित अधिकारियों को चुका दिए जाएंगे और इसके बाद वही प्राप्तकर्ताओं द्वारा अदा किए जाएंगे तथा उनकी जिम्मेदारी होगी।

3. उक्त संपत्ति से संबंधित मूल दस्तावेज़ जैसे पट्टा विलेख, हस्तांतरण विलेख आदि दाता द्वारा प्राप्तकर्ता संख्या 1, अर्थात् डॉ. विजय कुमार दास को सौंप दिए गए हैं और उनकी फोटोकॉपी प्राप्तकर्ता संख्या 2, अर्थात् डॉ. विनय कुमार दास को दी गई है। साथ ही डॉ. विजय कुमार दास यह वचन देते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षण हेतु मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे।

4. दाता प्राप्तकर्ताओं को यह आश्वासन देता है कि उक्त संपत्ति किसी भी प्रकार के भार से मुक्त है, जैसे पूर्व बिक्री, बंधक, उपहार, वाद-विवाद, कुर्की, अधिसूचना, अधिग्रहण, जमानत, हक आदि। और यदि यह अन्यथा सिद्ध होता है तो उसके लिए दाता स्वयं उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा।

5. दाता ने उपहार-विलेख के माध्यम से (जैसा कि ऊपर वर्णित है) अपने सभी अधिकार, शीर्षक, शक्तियाँ, हित, स्वामित्व की प्राधिकृतियाँ, उपहारस्वरूप प्राप्तकर्ताओं को प्रदान, हस्तांतरित, संप्रेषित, सौंप और सुपुर्द कर दी हैं।

6. इस उपहार-पत्र के सभी खर्चे जैसे स्टाम्प पेपर, निष्पादन और पंजीकरण शुल्क आदि, दाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

7. प्राप्तकर्ता इस उपहार-विलेख के माध्यम से उपरोक्त संपत्ति के एकमात्र और पूर्ण स्वामी बन गए हैं और वे अपने-अपने हिस्से को अपनी संपत्ति मानते हुए उसका उपयोग, आनंद, कब्जा, धारण, बिक्री, बंधक, उपहार, विनिमय, पट्टे पर देना, हस्तांतरित करना अथवा किसी भी प्रकार से निपटान करने के लिए पूर्ण रूप से अधिकारप्राप्त, सशक्त और अधिकृत होंगे, और इस पर दाता या उसके किसी भी कानूनी उत्तराधिकारी अथवा दाता के अधीन

दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का कोई दावा, मांग या आपत्ति नहीं होगी।

8. प्राप्तकर्ता अपने-अपने हिस्सों को इस उपहार-विलेख के आधार पर सभी संबंधित सरकारी राजस्व अभिलेखों/एमसीडी में अपने नामांतर और हस्तांतरित कराने के लिए पूर्ण रूप से अधिकारप्राप्त, सशक्त और अधिकृत होंगे, भले ही दाता अनुपस्थित हो। कि प्राप्तकर्ता अपने-अपने हिस्सों में नई बिजली/पानी की कनेक्शन/मीटर अपने नाम पर प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से अधिकारप्राप्त, सशक्त और अधिकृत होंगे, और इसके लिए सभी खर्चे एवं व्यय वे स्वयं वहन करेंगे।

9. दाता ने उक्त संपत्ति का मूल्यांकन रिपोर्ट सरकारी अनुमोदित मूल्यांकक से प्राप्त कर लिया है (रिपोर्ट संलग्न है) जो स्टाम्प शुल्क के उद्देश्य से तैयार की गई है और मूल्यांकन 47,08,500/- रूपये आया है।

10. मुख्य द्वार से लेकर गैरेज तक का मार्ग तथा भूतल पर (पोर्च के नीचे) साझा मार्ग से आने वाला (साइड प्रवेश द्वार, साइट प्लान में पीले रंग से दर्शाए) साझा हिस्से के रूप में चिन्हित है और इस संपत्ति का उपयोग दोनों प्राप्तकर्ता तथा उनके अधिकृत प्रतिनिधि करेंगे।

11. नए स्वामी और उनके संबंधित उत्तराधिकारी इस उपहार-विलेख के माध्यम से उक्त संपत्ति के स्वामी बन गए हैं, परंतु उन्हें भूतल से ऊपरी मंज़िल तक जाने वाली साझा सीढ़ी का उपयोग केवल छत पर स्थित टीवी/केबल एंटीना और ओवरहेड वाटर टैंक की मरम्मत/रखरखाव हेतु करने का अधिकार होगा। और ऊपरी मंज़िल के निवासी/स्वामी को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी।

12. प्राप्तकर्ता उक्त उपहारस्वरूप संपत्ति को स्वीकार करते हैं।

13. दाता यह घोषणा करता है कि यह उपहार विलेख दाता द्वारा पूर्ण समझ के साथ और अपनी स्वतंत्र इच्छा से, बिना किसी व्यक्ति के दबाव के निष्पादित किया गया है।

67. यह विधि में सुव्यवस्थित रूप से स्थापित है कि किसी भी सहदायिकी को अपनी अविभाजित हिस्सेदारी को अन्य सहदायिकी को उपहारस्वरूप देने से कोई रोक नहीं है। इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***थम्मा वेंकट सुब्बम्मा (मृत) एल.आर बनाम थम्मा रत्तम्मा*** (1987) 3 एससीसी 294 में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया जाता है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि:-

"17. यह विधि में स्थापित है कि कोई सहदायिकी अपनी अविभाजित हिस्सेदारी को अन्य सहदायिकी या किसी बाहरी व्यक्ति को उपहारस्वरूप दे सकता है, बशर्ते कि सभी अन्य सहदायिकियों की पूर्व सहमति प्राप्त हो। ऐसा उपहार विधिक रूप से वैध और कानूनी माना जाएगा।"

(जोर दिया गया)

68. इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***एम.आर. विनोदा बनाम एम.एस. सुशीलम्मा*** (2021) 20एससीसी 180 में, ***थम्मा*** (पूर्वोक्त) में स्थापित स्थिति को दोहराते हुए, *अन्य बातों के साथ-साथ* यह भी अभिनिर्धारित किया है कि:-

23.यह निर्णय थम्मा वेंकट सुब्बम्मा बनाम थम्मा रत्तम्मा (1987) 3 एससीसी 294 में यह भेद स्पष्ट करता है कि सहदायिकी द्वारा अपनी हिस्सेदारी का उपहार और उसका परित्याग अलग-अलग विधिक क्रियाएँ हैं; तथा शाखा का मुखिया या कर्ता शाखा का प्रतिनिधि और सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। पूर्व का वैध और कानूनी है, बशर्ते कि परित्याग सभी अन्य सहदायिकी के पक्ष में किया गया हो। ***<u>उपहार या परित्याग भी वैध और कानूनी होगा यदि यह किसी अन्य सहदायिकी की पूर्व सहमति से किया गया हो। समान रूप से, कोई सहदायिकी</u>***

<u>अपनी अविभाजित हिस्सेदारी को अन्य सहदायिकी को उपहारस्वरूप दे सकता है, बशर्ते कि अन्य सहदायिकियों की पूर्व सहमति प्राप्त हो।</u>

24. मुल्ला का हिंदू विधि (22वाँ संस्करण), अनुच्छेद 262 में यह कहा गया है कि कोई सहदायिकी अपनी हिस्सेदारी का परित्याग अन्य सहदायिकी के समूह के पक्ष में कर सकता है, लेकिन केवल किसी एक या कुछ सहदायिकियों के पक्ष में नहीं कर सकता है। ***जब कोई सहदायिकी अपनी हिस्सेदारी का परित्याग एक या अधिक सहदायिकी के पक्ष में करता है, तो वह परित्याग वास्तव में सभी अन्य सहदायिकी के लाभ के लिए होता है, न कि केवल उन संसहदायिकी के लिए जिनके पक्ष में परित्याग किया गया है।*** *इसी प्रकार, मेन का हिंदू विधि और प्रचलन पर ग्रंथ (17वाँ संस्करण), अनुच्छेद 407 में यह स्पष्ट किया गया है कि सहदायिकी अपनी संपूर्ण अविभाजित हिस्सेदारी अन्य सहदायिकी या सहदायिकियों के पक्ष में उपहारस्वरूप दे सकता है। यह उपहार वैध माना जाएगा, चाहे इसे अन्य सहदायिकियों की सहमति से किया गया माना जाए या इसे सभी के पक्ष में हिस्सेदारी के परित्याग के रूप में देखा जाए। थम्मा वेंकटा सुब्बम्मा [थम्मा वेंकट सुब्बम्मा बनाम थम्मा रत्तम्मा,*

(1987) 3 एससीसी 294] के निर्णय का उल्लेख करते हुए, मेन का हिंदू विधि और प्रचलन पर ग्रंथ यह अवलोकन करता है कि यदि कोई परित्याग स्पष्ट उपहार के रूप में किया गया हो और उसका लाभ सभी सहदायिकियों को प्राप्त होता हो, तो ऐसा उपहार वैध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, मुल्ला का हिंदू विधि (22वाँ संस्करण) यह मान्यता देता है कि पिता या अन्य प्रबंधकारी सदस्य पूर्वजों की अचल संपत्ति में से उचित सीमा तक, यदि वह 'धार्मिक/पुण्य प्रयोजनों' के लिए हो, उपहार दे सकते हैं। [देखें अनुच्छेद 223 और 224, पृष्ठ 332 और 333, मुल्ला का हिंदू विधि, 22वाँ संस्करण]

(जोर दिया गया)

69. चूँकि एच.यू.एफ. में केवल प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 ही सम्मिलित थे, उपहार-विलेख के निष्पादन की तिथि अर्थात् दिनांक 24.08.2004 को, उपर्युक्त विधिक स्थिति के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 को अपनी हिस्सेदारी कोठी में, जो कि सहदायिकी है, संयुक्त उत्तराधिकारियों अर्थात् प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पक्ष में उपहारस्वरूप देने से कोई रोक नहीं थी।

70. यह तथ्य कि उपहार-विलेख में प्रतिवादी संख्या 2 ने यह कहा है कि वह सम्पूर्ण संपत्ति संख्या ए-28, फ्रेंड्स कॉलोनी (ईस्ट), नई दिल्ली-110065 का स्वामी है, उपहार-विलेख को शुरू से ही शून्य नहीं बनाता है। प्रतिवादी संख्या 2 का उद्देश्य अपनी हिस्सेदारी कोठी में प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पक्ष में हस्तांतरित करना था। यह तथ्य कि प्रतिवादी संख्या 2 सम्पूर्ण कोठी का स्वामी था या केवल सहदायिकी के रूप में उसका एक हिस्सा था, कोई अंतर नहीं डालता, क्योंकि कोठी का विभाजन हो रहा था और उसे प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को सीमाओं और क्षमता द्वारा उपहारस्वरूप दिया जा रहा था। दिनांक 24.08.2004 को पंजीकृत उपहार-विलेख के निष्पादन के पश्चात, केवल प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ही अपनी-अपनी निर्धारित हिस्सेदारी के अनुसार कोठी के स्वामी होने के अधिकारी होंगे। उपहार-विलेख के निष्पादन की तिथि दिनांक 24.08.2004 को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन अस्तित्व में नहीं था। इस प्रकार, उपहार-विलेख के निष्पादन की तिथि दिनांक 24.08.2004 को, वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात् एच.यू.एफ. में कोई हिस्सा नहीं था।

71. पंजीकृत उपहार-विलेख दिनांक 24.08.2004 के निष्पादन के पश्चात, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 अपनी-अपनी निर्धारित हिस्सेदारी के अनुसार कोठी के कब्जे और उपयोग में रहे हैं, और उक्त हिस्सों का नामांतरण भी प्रतिवादी

संख्या 3 और 4 (प्रदर्श प्र.-5 और प्रदर्श प्र.-6) के पक्ष में क्रमश: किया गया है।

72. इस संबंध में, प्र.सा. 3, श्री राकेश कुमार ने अपनी दिनांक 18.01.2017 की प्रतिपरीक्षा निम्नानुसार अभिसाक्ष्य दिया है:

"18.01.2017

मैंने समन तामील किए हुए अभिलेख प्रस्तुत किए हैं, अर्थात् श्री विनय कुमार दास और श्री विजय कुमार दास, दोनों पुत्र श्री राम दास द्वारा संपत्ति संख्या ए-28, फ्रेंड्स कॉलोनी (ईस्ट), नई दिल्ली-110065 के नामांतरण हेतु दायर आवेदन, साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़, जो डायरी संख्या. 5194 दिनांक 26.12.2005 के अंतर्गत दाखिल किए गए थे। संपत्ति का नामांतरण आवेदकों के नाम पर दिनांक 02.01.2006 के दो पत्रों के माध्यम से किया गया था। संपत्ति के नामांतरण संबंधी पत्र पहले ही प्रदर्श प्र.5 और प्रदर्श प्र.6 के रूप में अभिलेखित किए जा चुके हैं। गृहकर के भुगतान संबंधी रसीदें हमारे अभिलेखों के अनुसार सही हैं और वे पहले ही प्रदर्श अभि.सा.1/12 और अभि.सा.1/13 के रूप में अभिलेखित की जा चुकी हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अभिलेखों के अनुसार, उक्त संपत्ति का आकलन वर्ष 1994 में डॉ. राम दास के नाम पर

किया गया था। संपत्ति वर्ष 2006 तक डॉ. राम दास के नाम पर आकलित रही है। वर्ष 2006 के बाद संपत्ति की विवरणी श्री विनय कुमार दास और श्री विजय कुमार दास द्वारा दाखिल किए गए। नामांतरण हेतु आवेदन की प्रति अब प्रदर्श प्र.सा.3/1 (ओएसआर) के रूप में अभिलेखित की गई है। श्री विजय कुमार दास द्वारा दाखिल क्षतिपूर्ति बंध-पत्र की प्रति प्रदर्श प्र.सा. 3/2 (ओएसआर) के रूप में अभिलेखित की गई है। श्री विजय कुमार दास का शपथपत्र प्रदर्शित किया गया है, जिसे प्रदर्श सं. अभि.सा. 3/3 (ओएसआर) के रूप में अंकित किया गया है। श्री विनय कुमार दास द्वारा प्रस्तुत नामांतरण के लिए आवेदन की प्रति प्रदर्श.प्र.सा. 3/4 (ओएसआर) के रूप में अंकित किया गया है। श्री विनय कुमार दास का शपथपत्र प्रदर्श सं. प्र.सा.3/5 (ओएसआर) के रूप में अंकित किया गया है। श्री विनय कुमार दास द्वारा दाखिल की गई क्षतिपूर्ति बांड प्रदर्श प्र.सा.3/6 (ओएसआर) के रूप में अंकित किया गया है।

73. इसके अतिरिक्त, बिजली और पानी के कनेक्शन भी प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के नाम पर स्थानांतरित कर दिए गए। यह कहा गया है कि उपहार-विलेख दिनांक 24.08.2004 से ही प्रतिवादी संख्या 3 और 4 अपने-अपने हिस्सों

(प्र.सा. 1/2 से लेकर प्रदर्शप्र.सा.1/13 तक) के लिए गृहकर और अन्य बिलों का भुगतान कर रहे हैं।

74. इस संबंध में, प्रतिवादी संख्या 3 (प्र.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में इस प्रकार अभिसाक्ष्य दिया है: -

> *"12. मैं आगे कहता हूँ कि उपहार-विलेख अर्थात् प्रदर्श अभि.सा.1/प्र.1 के निष्पादन दिनांक 24.08.2004 के बाद मेरे पिता के पास संपत्ति संख्या ए-28, फ्रेंड्स कॉलोनी (ईस्ट), नई दिल्ली पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार, स्वामित्व या हित शेष नहीं रहा और उक्त संपत्ति केवल मेरे तथा मेरे भाई डॉ. विनय कुमार दास की विशिष्ट संपत्ति बन गई। मैं आगे कहता हूँ कि यद्यपि उक्त संपत्ति स्व-अर्जित थी और व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में रही, परंतु किसी भी स्थिति में यदि उक्त एच.यू.एफ. का हिस्सा मानी जाए तो भी उपहार-पत्र प्रदर्श अभि.सा. 1/प्र.1 के निष्पादन के बाद उसने एच.यू.एफ. संपत्ति का स्वरूप खो दिया और यह उपहार-विलेख हिस्सों के पृथक्करण, संपत्ति के विभाजन और एच.यू.एफ. के विघटन के समान है।*

13. मैं आगे कहता हूँ कि उक्त उपहार-विलेख को विधिवत क्रियान्वित किया गया और संपत्ति का नामांतरण अभिसाक्षी और उसके भाई डॉ. विनय कुमार दास के पक्ष में कर दिया गया। उपहार विलेख के अनुसार, अभिलेखक को भूतल प्राप्त हुआ और डॉ. विनय कुमार दास को प्रथम तल तथा उससे ऊपर के हिस्से प्राप्त हुए। दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रदान की गई उत्परिवर्तन प्रविष्टियाँ क्रमशः प्रदर्श प्र.-5 और प्रदर्श प्र.-6 के रूप में प्रस्तुत की गई हैं।

...

15. मैं आगे यह कहता हूँ कि उपर्युक्त संपत्ति तब से अभिसाक्षी और उसके भाई डॉ. विनय कुमार दास की संपत्ति बनी हुई है और उसी रूप में प्रयोग की जाती रही है। मैं आगे यह कहता हूँ कि अभिसाक्षी और उसके भाई ने उक्त संपत्ति के संबंध में उपहार विलेख के निष्पादन की तिथि से ही अपने स्वयं के धन से गृहकर का भुगतान किया है। मैं आगे यह कहता हूँ कि अभिसाक्षी और उसके भाई ने उपहार विलेख के निष्पादन की तिथि से ही उक्त संपत्ति के संबंध में अपने स्वयं के धन से गृहकर का भुगतान किया है। मैं आगे यह कहता हूँ कि विद्युत कनेक्शन तथा जल कनेक्शन भी अभिसाक्षी और डॉ. विनय

कुमार दास के नाम पर स्थानांतरित कर दिए गए हैं और उपहार विलेख के निष्पादन अर्थात् दिनांक 24.08.2004 के बाद से ही उनके नाम पर बिल जारी किए जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी की गई रसीदें तथा विद्युत बिल, जल बिल आदि क्रमशः प्रदर्श प्र.सा. 1/2 से प्रदर्श प्र.सा. 1/13 तक प्रस्तुत किए गए हैं।"

75. वर्तमान मामले में, वादीगण को दिनांक 09.09.2005 तक अर्थात् संशोधन की तिथि जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 प्रतिस्थापित की गई थी, तक एच.यू.एफ. के सदस्य के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती थी।

76. मैं हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6 का उल्लेख करना उचित समझता हूँ। इसका प्रचालन भाग निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाता है:-

"6. हस्तांतरण विलेख संपत्ति में हित का न्यागमन

(1) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से, मिथाक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में, सहदायिकी की पुत्री होगी,-

(क) जन्म से ही अपने अधिकार में सहदायिकी, उसी प्रकार जैसे पुत्र, बन जाएगी;

(ख) सहदायिकी में वही अधिकार रखेगी, जो उसे प्राप्त होते यदि वह पुत्र होती;

(ग) उक्त सहदायिकी संपत्ति के संबंध में वही दायित्वों के अधीन होगी, जैसे कि पुत्र होता है,

और मिथाक्षरा सहदायिकी के किसी भी उल्लेख को सहदायिकी की पुत्री के उल्लेख को भी सम्मिलित माना जाएगा।

बशर्ते की उपधारा में निहित कोई भी प्रावधान किसी भी संपत्ति के निपटारे या परित्याग, जिसमें किसी भी प्रकार का विभाजन या वसीयतनामा द्वारा किया गया निपटारा सम्मिलित है, जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 से पूर्व हो चुका है, को प्रभावित या अमान्य नहीं करेगा।

.....

(5) इस धारा में निहित कोई भी प्रावधान उस विभाजन पर लागू नहीं होगा, जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 से पूर्व किया जा चुका है।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विभाजन" का अर्थ होगा ऐसा विभाजन जो विधिवत पंजीकृत विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा, पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का

अधिनियम संख्या 16) के अंतर्गत किया गया हो अथवा न्यायालय के डिक्री द्वारा किया गया विभाजन हो।

77. हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6 के पीछे विधायी अभिप्राय यह है कि पुत्रियों को वही अधिकार प्रदान किए जाएँ जो पुत्रों को सहदायिकी संपत्ति के संबंध में प्राप्त हैं, जिससे उन्हें सहदायिकी के रूप में मान्यता प्राप्त हो और वे एच.यू.एफ. की संपत्ति में अपना हिस्सा दावा कर सकें। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6(5) विशेष रूप से विभाजन के मुद्दे, जिसके अंतर्गत धारा 6(5) के परंतुक स्पष्ट रूप से यह घोषित करता है कि अपंजीकृत विभाजन पुत्रियों के उनके वैध हिस्से के अधिकार के विरुद्ध कानूनी रूप से अमान्य माने जाएँगे,को संबोधित करती है। इस प्रावधान का उद्देश्य धोखाधड़ीपूर्ण दावों या मिलीभगतपूर्ण कार्यवाहियों को रोकना है, जहाँ ऐसी अनौपचारिक या अपंजीकृत दस्तावेज़ों का उपयोग पुत्रियों के वैध अधिकारों को दरकिनार करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***प्रकाश एवं अन्य बनाम फूलवती एवं अन्य*** (2016) 2 एस.सी.सी. 36 में, *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया था:-

"22. इस पृष्ठभूमि में, हम पाते हैं कि धारा 6(1) का परन्तुक तथा धारा 6(5) स्पष्ट रूप से उन लेन-देन को बाहर करने का अभिप्राय रखते हैं, जिनका उल्लेख वहाँ किया गया है और जो

दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 से पूर्व, जिस दिन विधेयक प्रस्तुत किया गया था, हो चुके हैं। व्याख्या किसी ऐसे विभाजन को पुनः खोलने की अनुमति नहीं दे सकती जो किए जाने के समय वैध था। दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 से पूर्व हुए लेन-देन को अंतिम रूप देने का उद्देश्य मुख्य प्रावधान को किसी भी प्रकार से पूर्वव्यापी बनाने का नहीं है। उद्देश्य यह है कि नकली लेन-देन के माध्यम से उपलब्ध संपत्ति को विधेयक प्रस्तुत किए जाने के समय छीना न जाए और वह संपत्ति उपलब्ध बनी रहे, ताकि जब अधिनियम द्वारा अधिकार प्रदान किया जाए तो उसे लागू किया जा सके। संशोधन की धारा 6(1)और (3) का मुख्य प्रावधान किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का अभिप्राय नहीं रखता, बल्कि इस प्रकार से उसे सुदृढ़ किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा जिन लेन-देन पर भरोसा किया गया है, उन्हें दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 से पूर्व की अवधि के लिए समाप्त करने का उद्देश्य नहीं है। किसी भी स्थिति में, दिनांक 20 दिसम्बर 2004 के बाद की वैधानिक काल्पनिक विभाजन को न तो व्याख्या द्वारा और न ही संबंधित परन्तुक द्वारा समाविष्ट किया जा सकता है।"

(जोर दिया गया)

78. इसी प्रकार का विधिक दृष्टिकोण माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा एवं अन्य*** (2020) 9 एससीसी 1 में भी अपनाया, जहाँ उच्चतम न्यायालय ने *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था:-

> ***" 134. पुत्रियों के सहदायिकी के रूप में अधिकारों की रक्षा, 1956 अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा 6 में परिकल्पित है, जो न्यायालय की डिक्री द्वारा किए गए विभाजन अथवा पंजीकृत साधन द्वारा किए गए विभाजन को मान्यता प्रदान करती है। दिनांक 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व किए गए विभाजन को सुरक्षित माना गया है।***
>
> *135. विभाजन की एक विशेष परिभाषा 75 के पृष्ठ 50 में अलग से की गई है। व्याख्या में विभाजन की एक विशेष परिभाषा निर्धारित की गई है। इन प्रावधानों का अभिप्राय पुत्री के हितों को संकट में डालना नहीं है, बल्कि उन झूठे या तुच्छ लेन-देन का ध्यान रखना है जिन्हें अनुचित रूप से बचाव में प्रस्तुत कर पुत्री को उसके सहदायिकी अधिकार से वंचित किया जाता है, और प्रतिस्थापित प्रावधानों से प्राप्त होने वाले लाभ को निष्फल होने से रोकना है। धारा 6(5) में किए गए वैधानिक प्रावधानों ने विभाजन के संबंध में संपूर्ण परिदृश्य को बदल दिया है। हालाँकि,*

पूर्ववर्ती कानून के अंतर्गत मौखिक विभाजन को मान्यता प्राप्त थी। किंतु धारा 6 के प्रावधानों में हुए परिवर्तन के मद्देनज़र विधायिका का अभिप्राय स्पष्ट है और ऐसे मौखिक विभाजन के तर्क को सहजता से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। धारा 6(5) के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि मौखिक विभाजन को स्वीकार करने से पहले उसके पक्षकार पर भारी प्रमाण का बोझ डाला जाए। ऐसे प्रमाण में अलग-अलग हिस्सों का वास्तविक कब्ज़ा, आय का अलग-अलग उपभोग, राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि, और अन्य समकालीन सार्वजनिक दस्तावेज़ों का समर्थन शामिल होना चाहिए। इन परिस्थितियों में भी मौखिक विभाजन को अत्यंत अनिच्छा से और सभी सुरक्षा उपायों के साथ ही स्वीकार किया जा सकता है। धारा 6 का अभिप्राय केवल उन्हीं वास्तविक विभाजनों को स्वीकार करना है जो प्रचलित कानून के अंतर्गत किए गए थे, और जिन्हें झूठे बचाव के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल मौखिक स्वयं कह देने मात्र को सीधे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। संशोधित प्रावधानों से प्राप्त लाभ को निष्फल करने के लिए झूठे या तुच्छ बचाव खड़ा करने से रोकने का उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को पूर्ण प्रभाव दिया जाना आवश्यक है। अन्यथा, पुत्री

को उसके सहदायिकी अधिकारों से वंचित करना बहुत आसान हो जाएगा। जब ऐसा बचाव प्रस्तुत किया जाता है, तो न्यायालय को उसे स्वीकार करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी होती है। केवल तभी ऐसी अभिवाक पर विचार किया जा सकता है जब उसके समर्थन में अत्यंत ठोस, निष्कलंक और समकालीन दस्तावेज़ी साक्ष्य, जैसे सार्वजनिक अभिलेख, उपलब्ध हों। अन्यथा, इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हम पुनः दोहराते हैं कि मौखिक विभाजन या अपंजीकृत विभाजन ज्ञापन किसी भी समय, यदि इसके समर्थन में कोई समकालीन सार्वजनिक दस्तावेज़ उपलब्ध न हो, गढ़ा जा सकता है। तो ऐसे तर्क को हर हाल में अस्वीकार किया जाना चाहिए। हम यह दोहराते हैं कि मौखिक विभाजन या अपंजीकृत विभाजन ज्ञापन का दावा केवल असाधारण मामलों में ही स्वीकार किया जा सकता है, जहाँ विभाजन का प्रमाण निर्णायक रूप से प्रस्तुत किया गया हो। हम न्यायालयों को सावधान करते हैं कि ऐसे मामलों में निष्कर्ष केवल संभावनाओं के संतुलन पर आधारित नहीं होना चाहिए। बल्कि, लैंगिक न्याय के प्रावधानों और धारा 6(5) की व्याख्या के अनुरूप अत्यधिक भारी प्रमाण का बोझ पूरा होना चाहिए। यह याद रखना आवश्यक है कि न्यायालय संशोधन अधिनियम द्वारा

बनाए गए कल्याणकारी प्रावधानों के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकते। हमने यह अपवाद इसलिए बनाया है क्योंकि पहले विभाजन के हैं। पंजीकृत दस्तावेज़ का निष्पादन आवश्यक नहीं था, और परिवार की प्रतिष्ठा के कारण न्यायालय का सहारा बहुत कम लिया जाता था। इसे अंतिम उपाय के रूप में अपनाया जाता था, जब पक्षकार अपने पारिवारिक विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने में असमर्थ होते थे। हम यह ध्यान देते हैं कि 1956 से पहले भी विभाजन उन तरीकों से किए गए थे जो धारा 6(5) में परिकल्पित नहीं हैं।"

(जोर दिया गया)

79. न्यायालयों ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में संशोधन के बाद भी, दिनांक 20.12.2004 से पहले किए गए किसी भी संपत्ति का निपटान या हस्तांतरण, जिसमें विभाजन या वसीयतनामा द्वारा किया गया निपटान शामिल है, अप्रभावित रहेगा। ऐसे विभाजनों को, जो निष्पादन के समय वैध थे, दोबारा खोलने की अनुमति पक्षकारों को नहीं दी जाएगी। मेरे विचार में, वादीगण को दिनांक 24.08.2004 की उपहार विलेख की वैधता को हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6 के आधार पर पुनः खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि उपहार विलेख के संबंध में

कोई चुनौती या घोषणा नहीं मांगी गई है। प्रतिवादीगण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के ***एन. सरीन*** (पूर्वोक्त) मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करना उचित है।

80. दिनांक 24.08.2004 को पंजीकृत उपहार विलेख के माध्यम से 'कोठी' की स्थिति, अर्थात दिनांक 20.12.2004 से पहले एच.यू.एफ. संपत्ति से बदलकर प्रतिवादी संख्या 3 और 4 की व्यक्तिगत संपत्ति हो गई। ऐसी स्थिति में, यदि 'कोठी' को एच.यू.एफ. संपत्ति मानकर विभाजन के लिए उपलब्ध कराना है, तो यह आवश्यक होगा कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 अपने-अपने हिस्से को सचेत रूप से पुनः एच.यू.एफ. की सामूहिक निधि में डालें। अन्यथा, इसके लिए उपहार विलेख को चुनौती दी जानी चाहिए और उसे अपास्त किया जाना आवश्यक है।

81. स्वीकार्य रूप से, उपहार विलेख को कोई प्रत्यक्ष चुनौती नहीं दी गई है और न ही इसे निरस्त करने के लिए कोई घोषणा की प्रार्थना की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा अपने-अपने हिस्से को 'कोठी' में पुनः एच.यू.एफ. की सामूहिक संपत्ति में डालने के लिए कोई प्रत्यक्ष कदम नहीं उठाया गया है।

82. ऐसी स्थिति में, यदि उपरोक्त दोनों में से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, तो मैं यह मानने के लिए स्वयं को राज़ी नहीं कर सकता कि दिनांक

24.08.2004 के बाद 'कोठी' एच.यू.एफ. संपत्ति रही और दिनांक 09.09.2005 या दिनांक 20.12.2004 से पहले विभाजन के लिए उपलब्ध थी।

83. इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हिस्से के स्वामी के रूप में एक मुख्तारनामा निष्पादित किया है है, जिसके द्वारा उसने प्रतिवादी संख्या 2 को 'कोठी' में अपने हिस्से का प्रबंधन और प्रशासन करने का अधिकार दिया है। मुख्तारनामा को प्रदर्श प्र.-4 के रूप में प्रदर्शित किया गया है और इसे निम्नानुसार पढ़ा गया है:-

"विशेष मुख्तारनामा

सर्वसाधारण को ज्ञात हो कि मैं, डॉ. विजय कुमार दास, पुत्र डॉ. राम दास, निवासी ए-28, फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली, द्वारा डॉ. राम दास, पुत्र श्री बी. सिंह, निवासी ए-28, फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली, को अपना सच्चा और विधिसम्मत विशेष अभिकर्ता नियुक्त, नामित, गठित और अधिकृत करता हूँ, ताकि वह मेरे नाम और मेरी ओर से निम्नलिखित कार्य, कृत्य और कार्यवाहियाँ कर सके, जो सम्पूर्ण भूतल भाग से संबंधित हैं, जिसमें छत/टैरेस का अधिकार नहीं होगा, आगे का लॉन और पीछे का आँगन शामिल होगा, भूतल पर बाईं ओर का एक गैरेज तथा गैरेज के ऊपर एक नौकर का कमरा (छत के अधिकार सहित), जो फ्रीहोल्ड निर्मित संपत्ति संख्या ए-28, क्षेत्रफल

501.67 वर्ग मीटर, फ्रेंड्स कॉलोनी आवासीय योजना अब फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली के नाम से जानी जाती है के लेआउट प्लान में दर्शाई गई है, जिसका मैं विधिसम्मत स्वामी हूँ।

उक्त अभिकर्ता को निम्नलिखित अधिकारों के लिए पूर्ण रूप से सशक्त किया गया है:-

1. श्री राज हांडा के साथ वर्तमान पट्टे को मेरी ओर से आगे की सलाह मिलने तक जारी रखा जाए।

2. जब आवश्यक हो, किसी व्यक्ति के साथ पट्टा अनुबंध/किराया अनुबंध में प्रवेश करने, उस पर हस्ताक्षर करने, उसे निष्पादित करने और पट्टा अनुबंध/किराया अनुबंध प्राप्त करने का अधिकार।"

3. उक्त किरायेदार/किरायेदारों से किराया वसूलने और उसके लिए किराया रसीद जारी करने का अधिकार।

4. उक्त संपत्ति के किरायेदारों को बेदखली का नोटिस जारी करने और इसके लिए आवश्यक सभी कार्य, कृत्य और कार्यवाहियाँ करने का अधिकार।

5. संबंधित विभागों में मकान-कर, बिजली और पानी के बिल जमा करने का अधिकार।

जिसके साक्ष्य स्वरूप मैंने इस मुख्तारनामें पर नई दिल्ली में दिनांक 17 दिसंबर, 2004 को निम्नलिखित साक्षीगण की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं...."

84. इस तथ्य मात्र से कि एच.यू.एफ. के आयकर विवरणी (निर्धारण वर्ष 2005-06; 2006-07; 2007-08, (प्रदर्श अभि./8 - अभि./10) यह दर्शाते हैं कि कोठी एच.यू.एफ. का हिस्सा थी या भूतल से प्राप्त किराया आय एच.यू.एफ. खाते में जमा की जा रही थी, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा कोठी को पुनः एच.यू.एफ. की संपत्ति में मिलाने का कोई जान बूझ कर किया गया कार्य नही है। निर्धारण वर्ष 2007-08 का आयकर विवरणी बाद में संशोधित की गई और इसे प्रदर्श - अभि./11 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

85. जहाँ तक संपत्ति संख्या सी-1034 और सी-1035, सुशांत लोक-I, गुरुग्राम, हरियाणा का संबंध है, वादीगण ने यह निवेदन किया है कि उक्त संपत्तियाँ एच.यू.एफ के धन से खरीदी गई हैं और प्रतिवादी संख्या 3 और 4 इन संपत्तियों को खरीदने के लिए किसी स्रोत को प्रदर्शित करने में असफल रहे हैं। यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4, जो स्थायी ब्रिटिश निवासी हैं, उन्हें विदेशी मुद्रा में

बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भुगतान करना आवश्यक था और ऐसा नहीं किया गया।

86. अभि.सा. - 1 ने अपनी दिनांक 28.04.2010 की प्रतिपरीक्षा में निम्नलिखित रूप से अभिसाक्ष्य दिया है: -

" 28.04.2010

... मैं प्लॉट संख्या 1034 और 1036, सुशांत लोक, गुरुग्राम की खरीद का वर्ष नहीं जानती। मुझे उन विक्रय प्रतिफल की राशि याद नहीं है। उक्त बिक्री मूल्य मेरे पिता द्वारा अदा किया गया था। यह सही है कि बिक्री मूल्य के भुगतान के समय मैं उपस्थित नहीं थी।

प्र. क्या आपके पास कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य है जिससे यह सिद्ध हो सके कि सुशांत लोक के प्लॉट्स का बिक्री मूल्य आपके पिता ने अदा किया था?

उ. मेरे पास वर्तमान में कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य नहीं है, लेकिन बिक्री मूल्य मेरे पिता के एच.यू.एफ. खाते से, जो ग्रिंडलेज़ बैंक में संचालित था, अदा किया गया था। उक्त ग्रिंडलेज़ बैंक को बाद में एम/एस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली ने अधिग्रहित कर लिया।

प्र. क्या आप ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकते हैं जो यह दर्शाएँ कि सुशांत लोक के प्लॉट्स का बिक्री मूल्य आपके पिता के एच.यू.एफ. खाते से अदा किया गया था?

उ. उक्त दस्तावेज़ों को वर्तमान मामले में हमारे द्वारा समन तामील किया जाएगा ।

प्र. आपको उक्त बिक्री मूल्य के भुगतान के बारे में कब जानकारी मिली थी और क्या यह जानकारी आपको लगभग एक वर्ष पहले, या लगभग दो वर्ष, पाँच वर्ष या बीस वर्ष पहले मिली थी?

उ. मुझे नहीं पता।

प्र. आपको सुशांत लोक प्लॉट्स की बिक्री विलेखों के निष्पादन के बारे में कब जानकारी मिली थी?

उ. मुझे सटीक वर्ष याद नहीं है, लेकिन यह तथ्य मुझे वाद दायर करने से पहले ज्ञात था।

प्र. क्या आपने बिक्री विलेखों को देखा है

उ. हाँ

प्र. क्या आप यह पुष्टि करते हैं कि सुशांत लोक प्लॉट्स की बिक्री विलेख प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के नाम पर हैं?

उ. हाँ।

87. संपत्ति संख्या सी-1034 और सी-1035, सुशांत लोक-I, गुरुग्राम, हरियाणा को प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने अपने नाम से दिनांक 03.04.1986 को मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड से खरीदा था और इन संपत्तियों की खरीद के लिए बिक्री विलेख तथा भुगतान का प्रमाण विधिवत अभिलेख पर सिद्ध किया गया है, जो प्रदर्श प्र-2 और प्रदर्श प्र-7 के रूप में प्रदर्श हैं।

88. इस संबंध में, अभि.सा. 1 प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने शपथपत्र के रूप में साक्ष्य में निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया है:-

> *"17. मैं आगे यह कहता हूँ कि सुशांत लोक, गुरुग्राम, हरियाणा स्थित प्लॉट संख्या सी-1035 को मैंने अपने स्वयं के धन से अर्जित किया था। मैं आगे यह कहता हूँ कि विक्रेता ने संपूर्ण बिक्री मूल्य प्राप्त करने के पश्चात दिनांक 27.11.1995 को मेरे पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया था और वही अभिलेख पर प्रदर्श प्र.-7 के रूप में प्रदर्शित है। मैं आगे यह कहता हूँ कि उक्त संपत्ति हमेशा मेरी व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में मेरे कब्जे में रही है और इसे अर्जित करने के लिए कथित एच.यू.एफ. से कोई भी पैतृक धनराशि का उपयोग नहीं किया गया।*

18. मैं आगे यह कहता हूँ कि मेरे छोटे भाई डॉ. विनय कुमार दास ने शिमला मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था। मैं आगे यह कहता हूँ कि मेरे छोटे भाई डॉ. विनय कुमार दास यूके नेशनल हेल्थ सर्विस में परामर्शदाता के रूप में तीन दशकों से अधिक समय से कार्यरत हैं।

19. मैं आगे यह कहता हूँ कि इसी प्रकार, सुशांत लोक, गुरुग्राम, हरियाणा स्थित प्लॉट संख्या सी-1034 मेरे भाई द्वारा अपने स्वयं के धन से अर्जित किया गया था और संपूर्ण बिक्री मूल्य प्राप्त होने पर विक्रेता ने उसके पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया, जो अभिलेख पर प्र.-2 के रूप में प्रदर्शित है।

89. इसके अलावा,प्र.सा..-1 ने दिनांक 27.04.2016 पर अपनी प्रतिपरीक्षा में निम्नानुसार अभिसाक्ष्य दिया है-

<u>"27.04.2016</u>

"यह सही है कि गुरुग्राम स्थित दो प्लॉट्स में से एक मैंने और एक मेरे भाई ने मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज़ से खरीदा था। मुझे इन दोनों प्लॉट्स के भुगतान की तरीके के बारे में सटीक स्मरण नहीं है कि वह चेक द्वारा हुआ था या नकद द्वारा किया गया था। भुगतान किस्तों में किया गया था, जो लगभग 4-5 वर्षों की

अवधि में हुआ था। मुझे निश्चित रूप से याद नहीं है, लेकिन संभवतः इन दोनों प्लॉट्स का भुगतान वार्षिक किस्तों में किया गया था। मुझे यह ठीक-ठीक याद नहीं है कि इन दोनों प्लॉट्स की कितनी किस्तें नकद में दी गई थीं और कितनी किस्तें चेक द्वारा अदा की गई थीं। नकद भुगतान कभी मेरे द्वारा, कभी मेरी पत्नी द्वारा, कभी मेरे भाई द्वारा और कभी उसकी पत्नी द्वारा, जो की इस बात पर निर्भर करता था कि भुगतान के समय भारत में कौन उपस्थित था। मुझे यह तकरीबन भी याद नहीं है कि मेरे द्वारा खरीदे गए प्लॉट की किस्तों की राशि कितनी थी। कुल मूल्य प्रत्येक प्लॉट का लगभग 1.14 लाख रूपये था। "

90. एक अन्य दुकान संख्या एफएफ-18, सुशांत लोक व्यापार केंद्र, गुरुग्राम भी प्रतिवादी संख्या 3 अर्थात् डॉ. विजय कुमार दास ने अपने नाम से खरीदी थी और उक्त दुकान के भुगतान का विवरण भी विधिवत अभिलेख (प्र. अभि.4/ग) पर प्रस्तुत किया गया है।

91. इस संबंध में, प्र.सा. 1 ने अपनी दिनांक 29.04.2016 की प्रतिपरीक्षा में निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया है।

"29.04.2016

मैं और मेरे भाई डॉ. विनय कुमार दास (प्रतिवादी संख्या 4) ने व्यावार केंद्र, गुरुग्राम में एक दुकान बुक की थी, लेकिन उसका कब्जा कभी नहीं लिया। यह दुकान अंसल प्रॉपर्टीज़ के साथ बुक की गई थी। मुझे याद नहीं है कि दुकान की बुकिंग के लिए कोई धनराशि जमा की गई थी या केवल एक आवेदन पत्र दाखिल किया गया था। मुझे याद नहीं है कि हमारी बुकिंग पर अंसल प्रॉपर्टीज़ द्वारा कोई दुकान आवंटित की गई थी या नहीं। यह कहना गलत है कि मैंने और मेरे भाई ने वास्तव में कोई दुकान आवंटित करवाई थी और जिसके लिए हमने कई भुगतान भी किए थे। यह कहना गलत है कि वे भुगतान भी एच.यू.एफ. की संपत्तियों की आय से किए गए थे। यह कहना गलत है कि मैंने और मेरे भाई ने अपनी आवंटित दुकान को सभी अधिकारों सहित पुनः बेच दिया था और उसकी बिक्री की आय का हिसाब एच.यू.एफ. को नहीं दिया।"

92. मेरे विचार में, वादीगण द्वारा उठाया गया यह तर्क कि उक्त संपत्तियाँ एच.यू.एफ. की निधियों से खरीदी गई थीं, निराधार है। प्रतिवादी संख्या 3 और 4 यूनाइटेड किंगडम में चिकित्सक हैं तथा उनकी अपनी स्वतंत्र आय का स्रोत है। यह कहना उचित होगा कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पास पर्याप्त संसाधन थे, जिनसे वे उक्त संपत्तियाँ अपनी स्वयं की निधियों से खरीद सकते

थे। उक्त भूखंडों की बुकिंग भी वर्ष 1986 में प्रतिवादी संख्या 3 और 4 (प्रदर्श अभि.4/क औरअभि.4/ख) के नाम पर की गई थी तथा वादीगण ने इसके विपरीत कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया है।

93. दोनों भूखंडों और दुकान के एच.यू.एफ. की संपत्ति होने का प्रमाण देने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने केवल यह कहा है कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4, यू.के. के नागरिक होने के कारण भारत में धनराशि स्थानांतरित कर संपत्तियाँ नहीं खरीद सकते थे, जो मेरे विचार में मात्र एक कथन है। उक्त कथन को पुष्ट करने की आवश्यकता थी, किन्तु वादीगण ने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे मैं यह मान सकूँ कि उक्त भूखंड और दुकान एच.यू.एफ. की निधियों से खरीदे गए थे और एच.यू.एफ. की संपत्ति थे। इसके अतिरिक्त, उक्त संपत्तियों का उल्लेख प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निष्पादित किसी भी वसीयत (मार्क एक्स और मार्क बी/मार्क प्र.सा.2/ए/प्रदर्श प्र.सा.6/1) तथा श्रीमती शांति देवी (मार्क ए) की वसीयत में और न ही एच.यू.एफ.के किसी आयकर विवरणी में, किया गया है।

94. अतः मैं इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता कि संपत्ति संख्या सी-1034 और सी-1035, सुशांत लोक-I, गुरुग्राम, हरियाणा तथा दुकान संख्या एफएफ-18, सुशांत लोक व्यापार केंद्र, गुड़गाँव, एच.यू.एफ. का, उस समय अर्थात् दिनांक 09.09.2005 को जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 6 लागू हुई, हिस्सा थीं।

95. यद्यपि मैं इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता कि संपत्ति संख्या सी-1034 और सी-1035, सुशांत लोक-I, गुरुग्राम, हरियाणा तथा दुकान संख्या एफएफ-18, सुशांत लोक व्यापार केंद्र, गुड़गाँव एच.यू.एफ. का हिस्सा थीं, तथापि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने दिनांक 04.07.2024 के आदेश के अनुसार एक शपथपत्र दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि अपनी सौतेली बहनों के प्रति सद्भावना के रूप में वे संपत्ति संख्या सी-1034 और सी-1035, सुशांत लोक-I, गुरुग्राम, हरियाणा में अपने अधिकार, स्वामित्व और हित त्यागने के लिए तैयार हैं। उक्त शपथपत्र अभिलेख पर प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

96. इस प्रकार, वादी संख्या 1 और 2 को यह स्वतंत्रता है कि वे संपत्ति संख्या सी-1034 और सी-1035, सुशांत लोक-I, गुरुग्राम, हरियाणा को अपने नाम पर परिवर्तित करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करें।

97. 7700 यूनिट्स यू.टी.आई. जिनका मूल्य 1 लाख रूपये है, के संबंध में वादीगण ने यह तर्क दिया है कि ये एच.यू.एफ. की निधियों से खरीदे गए थे। इस संबंध में, वादीगण के अधिवक्ता ने मेरा ध्यान दिनांक 11.09.1987 की वसीयत (मार्क एक्स) की ओर, यह कहने हेतु कि 7700 यूनिट्स यू.टी.आई. एच.यू.एफ. का हिस्सा थीं, आकर्षित किया है। दिनांक 11.09.1987 की वसीयत का प्रचालन भाग निम्नानुसार है:

" जहाँ मैं, वसीयतकर्ता, विभिन्न संपत्तियों और परिसंपत्तियों का स्वामी हूँ जिनमें बैंकों में जमा राशि, घरेलू सामान तथा संयुक्त परिवार (राम दास एंड संस) में मेरी हिस्सेदारी सम्मिलित है, मैं यहाँ उक्त संपत्तियों और परिसंपत्तियों सहित संयुक्त परिवार में अपनी हिस्सेदारी को नीचे वर्णित प्रकार से वसीयत करता हूँ और प्रदान करता हूँ।

उपर्युक्त एच.यू.एफ. (राम दास, पत्नी और पुत्रगण) निम्नलिखित संपत्तियों और परिसंपत्तियों का स्वामी है, जिनमें मेरी हिस्सेदारी एक-चौथाई है:

गृह संख्या क-28, फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली स्थित।

<u>7700 यूनिट्स यू.टी.आई, जिनकी राशि ₹1,00,000/- है।</u>

ग्रिंडलैज़ बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली में खाता संख्या 67972 में शेष राशि। "

98. अभि.सा.-1 ने अपने शपथपत्र द्वारा दिए गए साक्ष्य में इस संबंध में निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया है:-

"5. वर्ष 1978 में प्रतिवादी संख्या 2 ने 'राम दास संयुक्त परिवार' का गठन किया और अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति, जो ए-28 फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली में स्थित है, को परिवार के

समग्र हित के लिए साझा निधि में सम्मिलित कर दिया। उक्त 'राम दास एच.यू.एफ.' का प्रबंधन प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया जा रहा था, जहाँ डॉ. राम दास संयुक्त परिवार के कर्ता/प्रबंधक थे। एक बार जब एच.यू.एफ. का गठन हो जाता है, तो उसका विघटन केवल संयुक्त परिवार की संपत्तियों के विभाजन द्वारा ही किया जा सकता है। चूँकि आज तक 'राम दास एच.यू.एफ. का कोई विभाजन नहीं हुआ है; अतः यह अभी भी अस्तित्व में है। प्रतिवादी संख्या 1 एच.यू.एफ. की सहदायिकी संपत्तियों का विवरण, जो वादकारी संख्या 1 के ज्ञान में है, निम्नलिखित है:

.....

7700 यूनिट्स यू.टी.आई., जिनकी राशि 1 लाख रूपये है। ये यूनिट्स वर्ष 1987 में कर्ता की दिनांक 11.09.1987 की वसीयत के अनुसार अस्तित्व में थीं और संभवतः कर्ता द्वारा भुनाई गई होंगी।"

99. 7,700 यू.टी.आई. यूनिट्स, जिनकी कीमत 1,00,000/- रूपये थी, केवल दिनांक 11.09.1987 की पंजीकृत वसीयत (मार्क एक्स) में ही उल्लेखित हैं। तथापि, बाद में इन यूनिट्स का उल्लेख किसी भी दस्तावेज़, जैसे कि एच.यू.एफ. द्वारा दाखिल आयकर विवरणी, श्रीमती शांति देवी की वसीयत या प्रतिवादी संख्या 2 की दिनांक 17.07.2004 की वसीयत, में नहीं किया गया

है। वादीगण ने कार्यवाही के दौरान यह भी कहा कि 7,700 यूनिट्स की स्थिति ज्ञात नहीं है।

100. यह सिद्ध करने का भार कि ये 7,700 यूनिट्स उस समय एच.यू.एफ का हिस्सा थीं जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की संशोधित धारा 6 लागू हुई, पूरी तरह वादीगण पर था, किंतु वे इस दायित्व को पूरा करने में असफल रहे। वादीगण ने कोई भी दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिससे यह स्थापित हो सके कि ये 7,700 यूनिट्स उस समय अस्तित्व में थीं जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की संशोधित धारा 6 लागू हुई। इस प्रकार, इन यूनिट्स को एच.यू.एफ. संपत्ति मानने का वादीगण का दावा अप्रमाणित रहता है।

101. वादीगण द्वारा कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण, मैं यह नहीं मान सकता कि 7,700 यू.टी.आई. यूनिट्स, जिनकी कीमत 1,00,000/- रूपये थी, दिनांक 09.09.2005 को एच.यू.एफ. का हिस्सा थीं।

102.जहाँ तक खाता संख्या 67972 (अब 525-1-008486-5), जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (पूर्व में ग्रिंडलेज़ बैंक), संसद मार्ग, नई दिल्ली में था, का संबंध है, वह बंद कर दिया गया है।

103. प्र.सा. 1 की दिनांक 28.04.2016 की प्रतिपरीक्षा इस संबंध में निम्नानुसार है:-

" 28.04.2016

यह सही है कि राम दास एच.यू.एफ. के नाम से नेशनल ग्रिंडलैज़ बैंक में एक बैंक खाता था। (वीओए/) यह खाता अब बंद हो चुका है।

.....

मैं राष्ट्रीय ग्रिंडलैज़ बैंक में एच.यू.एफ. खाते के खुलने से लेकर उसके अस्तित्व के बारे में अवगत नहीं था। (वीओए) मेरे पिता ने यह खाता कर बचाने के उद्देश्य से खोला था। यह कहना गलत है कि मैंने असत्य अभिसाक्ष्य दिया है। यह कहना गलत है कि मैं वर्ष 1983 में उपर्युक्त एच.यू.एफ. खाते के खुलने के संबंध में स्मृति का अभाव दिखा रहा हूँ।

104. इस खाते में यहाँ जमा की गई राशि को प्रमाणित करने हेतु अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, और न ही इसके क्रेडिट शेष के संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त, मुकदमा दायर होने के पश्चात् उक्त खाते से यदि कोई राशि निकाली गई हो, तो उसके संबंध में भी कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त बैंक खाते का उल्लेख एच.यू.एफ. के आयकर विवरणी में नहीं किया गया है। ऐसे ठोस साक्ष्य के अभाव में, इस खाते के संबंध में कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है।

105. जहाँ तक एच.यू.एफ. के नाम से एस.बी.आई., फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली में स्थित पी.पी.एफ. खाता संख्या 10485058884 का संबंध है, इस संबंध में दिनांक 25.03.2014 की अभि.सा. 5 की प्रतिपरीक्षा निम्नानुसार है:-

"25.03.2014

....मैं अगस्त 2012 में एस.बी.आई., फ्रेंड्स कॉलोनी शाखा में प्रबंधक (पर्सनल बैंकिंग डिवीजन) के रूप में शामिल हुआ। सामान्यतः शाखा का संचालन शाखा प्रबंधक द्वारा किया जाता है। पी.पी.एफ. खाते का संचालन सेवा प्रबंधक द्वारा किया जाता है। मेरे शामिल होने से पूर्व श्री ज्ञान सिंह सेवा प्रबंधक थे।

"मैं सेवा प्रबंधक नहीं हूँ। तथापि, यदि सेवा प्रबंधक की अनुपस्थिति में कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो मैं उसका निवारण करता हूँ।

पी.पी.एफ. खाता अभी तक बंद नहीं हुआ है। वर्ष 2012 के पूर्ण होने के बाद, पी.पी.एफ. खाते में ब्याज की राशि को छोड़कर कोई अन्य धनराशि जमा नहीं की गई है।

पी.पी.एफ. एच.यू.एफ. राम दास के नाम पर, उनके कर्ता के रूप में है। एच.यू.एफ. के सदस्यों के संबंध में हमारे पास कोई अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है।"

मैं यह नहीं बता सकता कि पी.पी.एफ. खाते से संबंधित बैंक विवरण, जो अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है, किसने प्राप्त किया है, क्योंकि उस पर प्राप्ति का कोई अनुमोदन अंकित नहीं है।"

106. मेरे ध्यान में पी.पी.एफ. खाता संख्या 10485058884 का लेन-देन विवरण भी लाया गया है, जो विधिवत अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है तथा प्रदर्श अभि.-7 के रूप में अंकित है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पी.पी.एफ. खाता एच.यू.एफ. के नाम पर है और अभि.सा. 5 के परिसाक्ष्य के अनुसार उक्त खाता बंद नहीं किया गया है तथा अब भी संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में विद्यमान है। उक्त परिसाक्ष्य का प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी खंडन नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने यह निवेदन किया है कि पी.पी.एफ. खाते में जमा राशि का वितरण श्रीमती शांति देवी की दिनांक 23.12.1995 की अंतिम वसीयत (मार्क ए) तथा स्वर्गीय डॉ. राम दास की दिनांक 17.07.2004 की अंतिम वसीयत (मार्क बी/मार्क प्र.सा.2/ए/प्रदर्श प्र.सा.6/1) के अनुसार किया जाना है।

107. प्रतिवादीगण द्वारा उठाया गया तर्क निराधार है। प्रतिवादी इस बात का कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं कि पीपीएफ खाता कभी एच.यू.एफ. का हिस्सा नहीं था। इसके अतिरिक्त, कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्थापित हो सके कि पी.पी.एफ. खाता बंद कर दिया

गया था या कि उसमें जमा राशि दिनांक 20.12.2004 से पूर्व प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पक्ष में जारी की गई थी। अभि.सा.-5 द्वारा दिया गया बयान प्रतिवादीगण द्वारा भी कभी खंडित नहीं किया गया।

108. पी.पी.एफ. खाते में जमा राशि का वितरण श्रीमती शांति देवी की दिनांक 23.12.1995 की वसीयत तथा स्वर्गीय डॉ. राम दास की दिनांक 17.07.2004 की वसीयत के अनुसार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एच.यू.एफ. की संपत्ति है और अब भी संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में विद्यमान है।

109. चूँकि पी.पी.एफ. खाते की स्थिति यथावत है, अतः यह एच.यू.एफ. की संपत्ति बनी हुई है। अतः, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6 के आलोक में, वादीगण एच.यू.एफ. के सदस्य होने के नाते, संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपने हिस्से के विधिक रूप से अधिकारी हैं, जिसमें पी.पी.एफ. खाते में जमा राशि भी सम्मिलित है। अतएव, वादीगण पी.पी.एफ. खाते में जमा निधियों में अपने वैध हिस्से के अधिकारी हैं।

110. जहाँ तक मुद्दा संख्या 1 का संबंध है, मैंने पहले ही यह निर्णय दिया है कि एच.यू.एफ., अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1, उस समय अस्तित्व में था जब हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6 लागू हुई और उसका विघटन नहीं हुआ था।

111. अतएव, मुद्दा संख्या 1 वादीगणों के पक्ष में तय किया जाता है, जबकि मुद्दा संख्या 2 आंशिक रूप से वादीगणों के पक्ष में तय किया जाता है।

<u>मुद्दा नं. 3: यदि मुद्दा संख्या 1 और 2 का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है, तो संपत्ति/संपत्तियों में वादी का क्या हिस्सा है?ओपीपी</u>

112. जिस दिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 लागू हुई, उस दिन तक कोठी पहले ही दिनांक 24.08.2004 की पंजीकृत उपहार विलेख के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 और 4 की विशिष्ट संपत्ति बन चुकी थी। उक्त संपत्ति का नामांतरण विधिवत रूप से प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के नाम कर दिया गया है तथा वे अपने-अपने हिस्सों का उपभोग कर रहे हैं। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***विनीता शर्मा (पूर्वोक्त)*** में प्रतिपादित विधि के आलोक में, कोठी का विभाजन दिनांक 20.12.2004 से पूर्व ही हो चुका था और वादीगण को कोठी में किसी भी हिस्से का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है।

113. संपत्ति संख्या सी-1034 और सी-1035, सुशांत लोक-I, गुरुग्राम, हरियाणा को कभी भी एच.यू.एफ. का हिस्सा नहीं दिखाया गया है। उक्त संपत्तियाँ प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा क्रय की गई हैं तथा उन संपत्तियों से संबंधित बिक्री विलेख (प्रदर्श अभि.4/क और अहि.4/ख) भी अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं । अतएव, वादीगण उक्त संपत्तियों में किसी भी हिस्से के अधिकारी नहीं हैं।

114. हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों के आलोक में, वादीगण संपत्ति संख्या सी-1034 और सी-1035, सुशांत लोक-I, गुरुग्राम, हरियाणा के अधिकारी हैं तथा वादीगण उक्त संपत्तियों को अपने नाम स्थानांतरित कराने के भी अधिकारी हैं।

115. स्वीकृतरूप से कि बैंक खाता संख्या 67972 (अब 525-1-008486-5) भी बंद हो चुका है, और इस कारण वादीगण उक्त बैंक खाते के संबंध में किसी भी राहत के अधिकारी नहीं हैं।

116. जहाँ तक 7,700 यूनिट्स यू.टी.आई. का संबंध है, जिनकी कीमत 1 लाख रूपये आंकी गई है, वादीगण यह सिद्ध करने का भार पूरा करने में असफल रहे हैं कि उक्त यूनिट्स धारा 6, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के समय अस्तित्व में थे या नहीं।

117. वादपत्र में उल्लिखित संपत्तियों में से केवल पी.पी.एफ. खाता संख्या 10485058884 ही एच.यू.एफ. की संपत्ति था और दिनांक 09.09.2005 को विभाजन हेतु उपलब्ध था।

118. चूँकि पी.पी.एफ. खाता संख्या 10485058884, जो एस.बी.आई., फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली में है, अब भी संयुक्त परिवार (एच.यू.एफ.), अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1, के नाम पर है, अतः वादीगण उसमें हिस्सेदारी के

अधिकारी हैं। परिणामस्वरूप, वादीगण खाते में जमा राशि में प्रत्येक 1/4 हिस्से के अधिकारी हैं।

119. अतएव, मुद्दा संख्या 3 वादीगणों के पक्ष में तय किया जाता है।

<u>मुद्दा नं. 4: क्या वाद न्यायालय शुल्क और अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए सही रूप से मूल्यांकित किया गया है, यदि नहीं, तो उसका क्या प्रभाव होगा?</u>

<u>ओपीपी</u>

120. वर्तमान मामले में, वादी संख्या 1 ने वाद संपत्तियों का मूल्यांकन 12 करोड़ रूपये किया है, और उसके दावे के अनुसार अर्थात् 1/5 हिस्सेदारी के आधार पर, वादीगण का हिस्सा ₹2.4 करोड़ है। वादी संख्या 1 ने उक्त राशि पर मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क अदा किया है।

121. कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी संख्या 5 को बाद में वादी संख्या 2 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। वादी संख्या 2 ने कोई नया वादपत्र दाखिल नहीं किया है और प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में दाखिल लिखित बयान में उसकी प्रार्थना केवल वादी का समर्थन करने तक सीमित है।

122. इसके अतिरिक्त, प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत संपत्तियों के बाज़ार मूल्य के संबंध में न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और न ही कोई तर्क रखा गया है। अतः, वादी संख्या 1 द्वारा किए गए मूल्यांकन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

123. उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वाद न्यायालय शुल्क और अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए उचित रूप से मूल्यांकित किया गया है, और परिणामस्वरूप, मुद्दा संख्या 4 वादीगणों के पक्ष में तय किया जाता है।

<u>मुद्दा नं. 5: क्या वाद में किया गया दावा परिसीमा से बाधित है? ओपीडी</u>

124. इस प्रश्न के संबंध में कि क्या वाद परिसीमा से बाधित है, वाद-हेतुक अनुच्छेद का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:-

"वादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद-हेतुक तब उत्पन्न हुआ जब दिसंबर 2006 में प्रतिवादीगण ने पहली बार वादी के एच.यू.एफ. के आवासीय संपत्ति, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने के अधिकार को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। इसके बाद प्रत्येक अवसर पर जब प्रतिवादीगण ने सक्रिय रूप से वादी को एच.यू.एफ. की संपत्तियों का उपभोग करने से रोका और उनकी आय का दुरुप्रयोग किया गया। तब वाद-हेतुक निरंतर बना रहा है। वाद-हेतुक पुनः सितंबर 2007 में उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के अनुचित दबाव में आकर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एच.यू.एफ. की संपत्ति के वर्तमान किरायेदारों को खाली करने का नोटिस दिया। वाद-

हेतुक वादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरुद्ध आज तक निरंतर बना हुआहै। अतः यह वाद दायर किया गया है। "

125. वर्तमान वाद दिनांक 03.12.2007 को दायर किया गया। वर्तमान मामले में, वादीगण का वाद-हेतुक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में किए गए संशोधन पर आधारित है, जो दिनांक 09.09.2005 से प्रभावी हुआ, जिसके द्वारा धारा 6 में संशोधन किया गया और वादीगण, एच.यू.एफ. के सहदायिकी की पुत्रियाँ हैं, को भी एच.यू.एफ. की संपत्तियों में हिस्सा प्रदान किया गया। वादपत्र में वादीगण द्वारा व्यक्त किए गए अधिकार भी पूर्णतः इसी संशोधन पर आधारित हैं। दिसंबर 2006 और सितंबर 2007 में घटित उपर्युक्त घटनाएँ, जैसा कि वाद-हेतुक अनुच्छेद में उल्लिखित है, भी संशोधित धारा 6 के आधार पर ही निहित हैं। अतः यह वाद, जो दिसंबर 2007 में दायर किया गया था, तीन वर्ष की परिसीमा अवधि के अंदर है।

126. मुद्दा संख्या 5 का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

<u>मुद्दा नं. 6: क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में अधिनियम संख्या 39/2005 द्वारा किया गया संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 30क के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है?ओपीडी</u>

127. जहाँ तक मुद्दा संख्या 6 का संबंध है, मुद्दा संख्या 6 हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6 की वैधता को चुनौती देता है,

जिसके संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और न ही कोई तर्क रखा गया है। पक्षकारों के बीच दायर वाद में न्यायालय किसी विधि की वैधता का निर्णय नहीं कर सकता है।

128. अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध मुद्दा संख्या 6 निर्णयित किया जाता है।

<u>मुद्दा नं. 7: क्या वादी/डॉ. पुष्पलता के मुस्लिम से विवाह करने के कारण उसने संपत्ति पर अपना कोई अधिकार, यदि कोई हो, हिंदू विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 19 अथवा अन्यथा खो दिया है? ओपीडी</u>

129. इस संबंध में, वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 के लिखित बयान के उत्तर में अपनी प्रतिकृति में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित कहा है:-

*"यह गलत है और अस्वीकार किया जाता है कि वादी ने पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम से विवाह करने के कारण हिंदू होना छोड़ दिया है। **<u>उसने भारतीय मूल के एक मुस्लिम, जो ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं, से पुनः विवाह किया और कभी भी हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन नहीं किया। यह एक सिविल विवाह था। उसने अपना नाम तक नहीं बदला है।</u>** वादी ने उक्त विवाह से उत्पन्न अपने दूसरे पुत्र का पालन-पोषण हिंदू के रूप में किया है, जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। उसका प्रथम नाम अजय है। यह विशेष रूप से कहा गया है कि वादी हिंदू थीं और निरंतर*

हिंदू ही बनी हुई हैं। वादी हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम के अंतर्गत सहदायिकी के रूप में अपने अधिकारों का दावा करने की पात्र है। लिखित बयान के इस अनुच्छेद की शेष सामग्री गलत है और अस्वीकार की जाती है।"

(जोर दिया गया)

130. इस अतिरिक्त, वादी संख्या 1 ने अपने साक्ष्य को शपथपत्र के रूप में प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया है:-"

".... वादी संख्या 1 को कम आयु में, वर्ष 1958 में, एक जो की सुखी नही था, के लिए बाध्य किया गया था, जिसे उसने सोलह वर्षों तक सहन किया। इस अवधि के दौरान उसने कड़ी मेहनत करके स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्रियाँ पूरी कीं तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। कार्य करते हुए उसने साथ ही पी.एच.डी. की पढ़ाई में प्रवेश लिया और वर्ष 1974 में कानपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इस पूरे समय, जब वह कार्यरत थीं, तब उसने परिवार की देखभाल भी की और अपने पुत्र अशिष सिंह, जिसका जन्म 22/5/1964 को हुआ था, की परवरिश भी की। अप्रैल 1974 में वादी संख्या 1 अपने पुत्र के साथ भारत छोड़कर विदेश अध्ययन हेतु, पहले अलेक्ज़ान्द्रिया, मिस्र में जहाँ प्रतिवादी संख्या 2

कार्यरत थे और बाद में लंदन विश्वविद्यालय में, गईं। सितंबर 1974 में वह अपने पुत्र के साथ यूनाइटेड किंगडम चली गईं, जहाँ प्रारंभिक आर्थिक सहायता उनके पिता से प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी आत्मकथा के पृष्ठ 181 पर वादी संख्या 1 के संबंध में यह कहा है कि उसने विशेषकर यूनाइटेड किंगडम में अध्ययन करते समय कठिन और तनावपूर्ण प्रक्रिया से गुज़रना पड़ा। प्रतिवादी संख्या 2 की आत्मकथा संपूर्ण रूप से प्रदर्श अभि./1 के रूप में प्रस्तुत की गई है। वादी संख्या 2 ने अपने पति से तलाक प्राप्त किया और अपने पुत्र का पालन-पोषण अकेले ही किया। उनके पुत्र अशिष सिंह ने यूनाइटेड किंगडम के बाथ विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की और वर्तमान में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में कार्यरत हैं। वादी संख्या 1 ने वर्ष 1980 में लंदन विश्वविद्यालय से अपनी दूसरी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और अपने सहकर्मी डॉ. ज़ैनुल हक़ से विवाह किया। यह दंपति रजिस्ट्री कार्यालय में विवाह बंधन में बंधा और दोनों ने अपनी-अपनी धर्मावलंबन परंपराओं का पालन जारी रखा। वादी संख्या 1 का दूसरा पुत्र अजय, जिसका जन्म दिनांक 11.01.1983 को हुआ, को सभी धर्मों का सम्मान करने की शिक्षा दी गई है। वादी

संख्या 1 ने यूनाइटेड किंगडम में कार्य किया और मई 2007 में सेवानिवृत्त हुईं।

131. इस संबंध में अभि.सा. 1 की दिनांक 29.11.2018 की प्रतिपरीक्षा निम्नानुसार है:-

"29.11.2018

मैं वर्ष 1980 में अपने दूसरे विवाह के समय भारतीय नागरिक थी। मेरे पति स्वर्गीय श्री मुहम्मद ज़ैनुल हक़ का मूल स्थान भारत के पटना से था। यह कहना गलत है कि वह और उसका परिवार पाकिस्तान चले गए थे। (वॉल्यूम) मुझे इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि मेरा इस तथ्य से कोई संबंध नहीं था। यह कहना गलत है कि वर्ष 1980 में मेरा और मेरे पति श्री मुहम्मद ज़ैनुल हक़ का निकाह हुआ था। मेरे पिता मेरे विवाह में श्री हक़ के साथ उपस्थित नहीं हुए। (वीओएल) मैंने किसी को आमंत्रित भी नहीं किया। यह सही है कि मेरे पति ने हमारे विवाह के समय हिंदू धर्म ग्रहण नहीं किया था। यह सही है कि हमारे विवाह के समय दो मुस्लिम सज्जन साक्षी बने हैं।

प्र. क्या आपको आपके पति द्वारा उनके जीवनकाल में कभी तलाक दिया गया था?

उ. नहीं यह सही है कि मेरे पुत्र श्री अजय हक़ का जन्म मेरे विवाह से श्री मुहम्मद ज़ैनुल हक़ के साथ हुआ। यह सही है कि वर्ष 1980 में विवाह के पश्चात मैं और मेरे स्वर्गीय पति श्री हक़ एक ही घर में साथ रहते रहे। मेरा पहले पति से तलाक लगभग वर्ष 1978 में हुआ था, परंतु मुझे सटीक तिथि याद नहीं है। मेरे पुत्र श्री अशिष सिंह की आयु लगभग 14 वर्ष थी जब मेरा तलाक हुआ। मुझे याद नहीं है कि मैं श्री हक़ से पहली बार कब मिली, परंतु यह 1974 के बाद ही था क्योंकि मैं 1974 में इंग्लैंड गई थी। यह सही है कि मेरे विवाह के समय श्री हक़ से विवाह करने पर, एक हिंदू महिला होने के बावजूद, साक्षीगण ने कोई आपत्ति नहीं उठाई।

(इस अवस्था में साक्षी का ध्यान प्रदर्श अभि.सा.1/ख की ओर आकर्षित किया गया)।

मुझे विवाह अधिनियम, 1949 की जटिलताओं के बारे में जानकारी नहीं है, जैसा कि मेरे शपथपत्र के पैरा संख्या 1 में उल्लेखित है। मुझे याद नहीं है कि मैं कब ब्रिटिश नागरिक बनी। मेरे विवाह के समय मुझे इस तथ्य से अवगत नहीं कराया गया था कि यह एक स्थायी और नागरिक अनुबंध है, न कि केवल एक अनुष्ठान हमारे विवाह के समय कोई क़ाज़ी उपस्थित नहीं

था। मुझे उन दो मुस्लिम सज्जनों के पूर्ववृत्त के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, जिन्होंने मेरे विवाह में श्री हक़ के साथ साक्षी दी थी। परंतु मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि उनमें से कोई भी क़ाज़ी नहीं था। मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ क्योंकि दोनों साक्षीगण मेरे पति के मित्र थे और जैसा कि उन्होंने बताया था, उनमें से एक अकाउंटेंट था। मुझे उस अकाउंटेंट मित्र का नाम याद नहीं है। मैं अपने विवाह का सटीक समय नहीं बता सकती, परंतु संभवतः यह सुबह हुआ था। यह कहना गलत है कि मेरे पुत्र श्री अजय हक़ के जन्म के बाद कोई मुस्लिम रीति□रिवाज़ नहीं किए गए। मैं वनस्पति विज्ञान में डॉक्टर हूँ। यह कहना गलत है कि मेरे पुत्र श्री अजय हक़ पर ख़तना की रस्म अदा की गई थी। मेरे विवाह के दौरान मेरे पति मेरे साथ किसी भी मंदिर में नहीं गए।

.....

प्र. क्या आपने कभी किसी मुस्लिम मौलवी को यह सूचित किया कि आप मुस्लिम से विवाह करने के बावजूद अब भी हिंदू धर्म का पालन कर रही हैं?

उ. नहीं।

यह कहना गलत है कि मेरा यह कथन कि मुस्लिम से विवाह करने के बाद भी मैं हिंदू धर्म का पालन कर रही थी एक झूठा कथन है, जिसका उद्देश्य मेरे पिता और सौतेले भाइयों से विभाजन का दावा करना है। यह कहना गलत है कि मेरे पति स्वर्गीय श्री हक़ का मेरे पिता द्वारा दिल्ली स्थित उनके घर में कभी स्वीकार नहीं किया गया। मैंने कोई अलग फ़ोटोग्राफ़ दाख़िल नहीं किया है, जिससे यह प्रदर्शित हो कि मेरे पिता और मेरे पति श्री हक़ के बीच घनिष्ठ संबंध थे। (वॉल्यूम) मैंने पहले ही अपने पिता की आत्मकथा अभिलेख पर रख दी है, जिसमें फ़ोटोग्राफ़ सम्मिलित हैं जो यह दर्शाते हैं कि मेरे पिता और मेरे पति श्री हक़ के बीच घनिष्ठ संबंध थे। इस मामले के अभिलेख पर मैंने कोई पत्र दाख़िल नहीं किया है, जिससे यह सिद्ध हो कि मेरे पिता ने मेरे स्वर्गीय पति को स्नेहपूर्ण पत्र लिखे थे, जो उनके प्रति प्रेम को दर्शाते हों। (वॉल्यूम) मेरे पिता ने स्नेहपूर्वक पत्र लिखे थे, जिनमें मेरे पति और मेरे प्रति उनकी विशेषताओं की प्रशंसा की गई थी, परंतु मैंने उन्हें इस मामले के अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है।"

132. यह कहना गलत है कि वादी संख्या 1 ने डॉ. ज़ैन उल हक़, जो पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम हैं और यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, से विवाह

करने के कारण हिंदू धर्म का पालन करना छोड़ दिया। इस तथ्य को सिद्ध करने का पूरा भार प्रतिवादीगण पर है। परंतु प्रतिवादी इस भार को पूरा करने में असफल रहे हैं, क्योंकि कोई भी साक्ष्य, जिससे यह साबित हो कि वादी संख्या 1 ने हिंदू धर्म त्याग दिया या औपचारिक रूप से इस्लाम धर्म अपनाया, प्रस्तुत नहीं किया गया है।

133. वादी संख्या 1 ने अपने शपथपत्र प्रदर्श अभि.सा.1/क में स्पष्ट रूप से कहा है कि डॉ. ज़ैन उल हक़ से अपने सिविल विवाह के पश्चात भी उसने अपने धर्म अर्थात् हिंदू धर्म का पालन जारी रखा।

134. मेरे विचार में केवल मुस्लिम से विवाह कर लेने मात्र से हिंदू धर्म का स्वतः इस्लाम में परिवर्तन नहीं हो जाता। वर्तमान मामले में, प्रतिवादीगण द्वारा किए गए मात्र एक साधारण कथन के अतिरिक्त कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि वादी संख्या 1 ने इस्लाम धर्म में विधिवत् रूपांतरण की मान्य प्रक्रिया अपनाई थी। ऐसे प्रमाण के अभाव में केवल विवाह के आधार पर धर्म परिवर्तन का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चूँकि वादी संख्या 1 ने अपना धर्म नहीं बदला है, इसलिए वह एच.यू.एफ. की संपत्तियों में अपने हिस्से का दावा करने की हक़दार है।

135. अतः मुद्दा संख्या 7 प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभिनिर्धारित किया जाता है।

<u>मुद्दा सं. 8: राहत</u>

136. वर्तमान वाद में, वादीगण ने एक घोषणा संबंधी डिक्री की माँग की है कि वादीगण उपर्युक्त पैरा 7 में वर्णित एच.यू.एफ. की संपत्तियों में, इस आधार पर कि वादीगण एच.यू.एफ. में सहदयिकी हैं, प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 दिनांक 09.09.2005 से लागू हो गया है।

137. मुद्दा संख्या 1, 2 और 3 पर दिए गए मेरे निष्कर्षों के आलोक में, मैंने यह ठहराया है कि वादीगण केवल अपने हिस्से (प्रत्येक का 1/4 हिस्सा) के हक़दार हैं, जो पी.पी.एफ. खाता संख्या 10485058884 में जमा राशि में है, यह खाता एच.यू.एफ. के नाम पर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली में है।

138. इसके अतिरिक्त, वादीगण संपत्ति संख्या प्लॉट नंबर सी-1034 और सी-1035, जो सुशांत लोक 1, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित हैं, के भी हक़दार हैं, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा दाख़िल शपथपत्र में उसने अपने सभी अधिकार, स्वामित्व और हित वादीगण के पक्ष में त्याग दिए हैं, जो उन्होंने सद्भावना के भाव से किया है।

139. अतः वर्तमान वाद आंशिक रूप से स्वीकृत किया जाता है।

140. तदनुसार डिक्री शीट तैयार की जाए।

न्या. जसमीत सिंह

23 जनवरी, 2025/*प्रियेश*

p(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*